1113294/2023/PQ CELL

संसद प्रश्न और उनके उत्तर

मानसून सत्र, 2023

1113294/2023/PQ CELL

मानसून सत्र, 2023

क्र.सं.	लो.स./ रा.स.	दिनांक	स्वीकृत प्रश्न संख्या	अनंतिम प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ सं.
1.	रा.स.	20.07.2023	95	U478	ईपीएफ और ईएसआई में सुधार	4
2.	रा.स.	20.07.2023	97	U437	प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य	9
3.	रा.स.	20.07.2023	106	U171	सृजित की गई नई नौकरियों की संख्या मापने की पद्धति	10
4.	रा.स.	20.07.2023	109	S40	श्रमिकों में भेदभाव को खत्म करने की पहल	13
5.	रा.स.	24.07.2023	442	S1298	एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम	15
6.	लो.स.	24.07.2023	502	1501	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी	16
7.	लो.स.	24.07.2023	514		असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या	19
8.	लो.स.	24.07.2023	544	1677	निधियों का अल्प उपयोग	21
9.	लो.स.	24.07.2023	581	1858	शाहजहांपुर में श्रमिकों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न	23
10.	लो.स.	24.07.2023	586	1883	ईपीएफ योजना	24
11.	लो.स.	24.07.2023	612	2019	उच्चतर पेंशन के लिए ई.पी.एफ.ओ. का एकीकृत पोर्टल	27
12.	लो.स.	24.07.2023	613	2022	इंडो-एशियन न्यूज़ चैनल प्राइवेट लिमिटेड	29

13.	लो.स.	24.07.2023	649	1391	कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी	32
14.	लो.स.	27.07.2023	1351 (MSMEs)	3208	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता	34
15.	लो.स.	31.07.2023	1670	5028	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए श्रमिक	37
16.	लो.स.	31.07.2023	1686 (MoCA)	5099	अकार्यशील कंपनी	39
17.	लो.स.	31.07.2023	1692	5119	महिलाओं के लिए भविष्य निधि के तहत राशि में वृद्धि	41
18.	लो.स.	31.07.2023	1783	2006	भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना	42
19.	लो.स.	01.08.2023	1982 (MoSJ&E)		ट्रांसजेंडरों को सुविधाएं	43
20.	रा.स.	03.08.2023	Starred *163	S2895	रोजगार सृजन का स्वतंत्र आकलन	45
21.	रा.स.	03.08.2023	1677 (MoI&B)		पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ	50
22.	रा.स.	03.08.2023	1686	S3649	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के (एबीआरवाई) तहत लाभार्थी	51
23.	रा.स.	03.08.2023	1690	S3298	कर्मचारी पेंशन योजना, के अंतर्गत न्यूनतम 1995 पेंशन	58
24.	रा.स.	04.08.2023	1794 (MoAGR)	S4161	किसानों की आय दोगुनी करना	60
25.	लो.स.	04.08.2023	2618 (MoW&CD)	7973	ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण	62

26.	लो.स.	07.08.2023	Starred *244	7140	ईपीएफ तथा ईएसआई में सुधार	64
27.	लो.स.	07.08.2023	2808		महिलाओं के लिए लचीले कामकाजी घंटे	69
28.	लो.स.	07.08.2023	2856	8687	गिग कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर जोडी गई सुविधाएं	71
29.	लो.स.	07.08.2023	2873 (MoF)	8768	भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद के लिए राहत पैकेज	74
30.	लो.स.	07.08.2023	2890	8862	कृषि मजदूरों और अन्य मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि	78
31.	लो.स.	07.08.2023	2913	8961	निजी संस्थानों में कार्यरत वाले लोगों की सुरक्षा	84
32.	रा.स.	10.08.2023	2492		पीएम-एसवाईएम और एनपीएस-ट्रेडर योजना	86
33.	रा.स.	10.08.2023	2506	U3925	अनौपचारिक क्षेत्र के लिए ईपीएफ योजना	90
34.	रा.स.	10.08.2023	2507	S4716	ईपीएफओ निधि का निवेश	91
35.	रा.स.	11.08.2023	2644 (MeitY)	U2806	संवेदनशील और निजी डेटा में सेंधमारी	92

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 95

गुरूवार, 20 जुलाई, 2023/ 29 आषाढ़, 1945 (शक)

ईपीएफ और ईएसआई में सुधार

95. श्रीमती सीमा द्विवेदी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बेहतर भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में किसी प्रकार का सुधार करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में विगत 5 वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक देश भर में ईपीएफ और ईएसआई के अंतर्गत शामिल किए गए श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 उन कारखानों और प्रतिष्ठानों के अधिसूचित वर्गों पर लागू होता है जिनमें 15,000/- रुपये प्रति माह तक मासिक ईपीएफ वेतन वाले बीस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 संगठित क्षेत्र के उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिनमें 21000/- रुपये (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) तक का वेतन पाने वाले दस या अधिक काम करने वाले व्यक्ति नियोजित होते हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संहिता) को दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, संहिता पहली बार दस से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान को स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी में शामिल होने के लिए सक्षम बनाती है। कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित संहिता के प्रावधान वैसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं जिसमें अनुसूचित प्रतिष्ठानों का संदर्भ लिए बगैर 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

सरकार ने असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण और एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया है। 13 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-2023 में ईपीएफ में अंशदान करने वाले 6.85 करोड़ सदस्य हैं [सार्वभौम खाता संख्या-(यूएएन) में जिन्होंने कम से कम एक बार अंशदान किया है)], जिनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II में दिए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए श्रमिकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

***

अनुबंध-I

ईपीएफ और ईएसआई में सुधार के संबंध में माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2023 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	कुल पंजीकरण (13 जुलाई,2023 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29,109
2	आंध्र प्रदेश	79,93,131
3	अरुणाचल प्रदेश	1,42,395
4	असम	69,77,606
5	बिहार	2,86,28,531
6	चंडीगढ़	1,74,548
7	छत्तीसगढ	83,20,247
8	दिल्ली	32,63,970
9	गोवा	63,122
10	गुजरात	1,13,34,388
11	हरियाणा	52,70,537
12	हिमाचल प्रदेश	19,29,421
13	जम्मू और कश्मीर	34,02,936
14	झारखंड	92,04,463
15	कर्नाटक	76,23,738
16	केरल	59,11,220
17	लद्दाख	30,854
18	लक्षद्वीप	2,455
19	मध्य प्रदेश	1,71,21,425
20	महाराष्ट्र	1,36,80,517
21	मणिपुर	4,06,779
22	मेघालय	3,01,257
23	मिजोरम	58,614
24	नागालैंड	2,19,942
25	ओडिशा	1,33,42,365
26	पुदुचेरी	1,78,944
27	पंजाब	55,06,500
28	राजस्थान	1,29,57,097
29	सिक्किम	30,673
30	तमिलनाडु	84,70,282
31	तेलंगाना	42,06,937
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	73,256
33	त्रिपुरा	8,51,823
34	उत्तर प्रदेश	8,30,59,043
35	उत्तराखंड	29,79,437
36	पश्चिम बंगाल	2,58,52,865
	कुल	**28,96,00,427**

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध-II

ईपीएफ और ईएसआई में सुधार के संबंध में माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2023 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2022-23 में कम से कम एक बार यूएएन में अंशदान करने का विवरण		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अंशदाता सदस्य**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	21,275
2	आंध्र प्रदेश	16,24,653
3	अरुणाचल प्रदेश	11,587
4	असम	3,65,918
5	बिहार	11,77,221
6	चंडीगढ़	6,38,985
7	छत्तीसगढ	7,05,116
8	दिल्ली	43,77,977
9	गोवा	2,67,715
10	गुजरात	48,11,660
11	हरियाणा	39,94,141
12	हिमाचल प्रदेश	4,80,080
13	जम्मू और कश्मीर	2,05,187
14	झारखंड	7,20,917
15	कर्नाटक	84,22,436
16	केरल	13,69,726
17	लद्दाख	2,384
18	मध्य प्रदेश	15,72,984
19	महाराष्ट्र	1,43,39,441
20	मणिपुर	18,084
21	मेघालय	43,008
22	मिजोरम	4,465
23	नागालैंड	11,713
24	ओडिशा	11,26,899
25	पंजाब	9,39,714
26	राजस्थान	18,83,766
27	सिक्किम	33,445
28	तमिलनाडु	73,92,661
29	तेलंगाना	42,35,110
30	त्रिपुरा	33,639
31	उत्तर प्रदेश	34,51,727
32	उत्तराखंड	8,23,450
33	पश्चिम बंगाल	34,38,663
कुल योग		**6,85,45,747**

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध-III

ईपीएफ और ईएसआई में सुधार के संबंध में माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2023 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2022 तक बीमित व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	1217420
2	असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	300020
3	बिहार	358980
4	चंडीगढ़	130200
5	छत्तीसगढ	506750
6	दिल्ली	1328320
7	गोवा	172650
8	गुजरात	1568900
9	हरियाणा	2319520
10	हिमाचल प्रदेश	346160
11	जम्मू और कश्मीर	122960
12	झारखंड	425620
13	कर्नाटक	2963220
14	केरल	945260
15	मध्य प्रदेश	967000
16	महाराष्ट्र	3990490
17	ओडिशा	741560
18	पुदुचेरी	104520
19	पंजाब	1216430
20	राजस्थान	1336380
21	सिक्किम	28340
22	तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3560310
23	तेलंगाना	1564130
24	उत्तर प्रदेश	2365560
25	उत्तराखंड	604560
26	पश्चिम बंगाल	1835310
	कुल	**31020570**

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 97

गुरूवार, 20 जुलाई, 2023/29 आषाढ़, **1945 (शक)**

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य

97. श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत राजस्थान राज्य में अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना द्वारा तय किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत धनराशि का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं होता है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2272.82 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। योजना के आरंभ से दिनांक 08.07.2023 तक देश में 60.42 लाख लाभार्थियों को 9552.08 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। राजस्थान राज्य में, 3.26 लाख लाभार्थियों को 538.98 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

इस योजना का उद्देश्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभ पहुंचाना था। हालाँकि, पंजीकरण की अंतिम तिथि तक, इस योजना के तहत कुल 75.11 लाख पंजीकरण हुए है।

*****

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 106

गुरूवार, 20 जुलाई, 2023/29 आषाढ़, 1945 (शक)

सृजित की गई नई नौकरियों की संख्या मापने की पद्धति

106. डा. अमर पटनायक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा 23 जून, 2023 को मंत्रालय के प्रदर्शन के संबंध में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वर्ष 2014 से सृजित की गई 12.5 मिलियन नई नौकरियों के किए गए दावे के अनुसार सरकार ने नौकरियों के इन आंकड़ों के मापन और उनकी संख्या निर्धारित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी नौकरियां सृजित हुई है, तत्संबंधी क्षेत्र-वार तथा उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की गुणवत्ता और संधारणीयता का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन या मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2014-15 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 15.84 करोड़ थी जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 27.73 करोड़ हो गई है। इसके साथ-साथ, पेंशनभोगियों की संख्या भी वर्ष 2014-15 में 51.04 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 72.73 लाख हो गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सितंबर, 2017 से अपना मासिक पे-रोल डेटा प्रकाशित कर रहा है जिससे औपचारिक क्षेत्र में रोजगारों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। देश में ईपीएफ अंशधारकों में निवल वृद्धि, वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 122.3 लाख और वर्ष 2022-23 के दौरान 138.5 लाख थी।

श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) से क्रमबद्ध तिमाहियों में, भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों के संबंध में रोजगार की स्थिति का आकलन किया जाता है। यह चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और वित्तीय सेवाएं हैं। क्यूईएस (जनवरी-मार्च, 2022) से यह

जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था के इन नौ क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 3.18 करोड़ हो गया, जबकि छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) के अनुसार इन क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ था।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), वर्ष 2017-18 से, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र करता है। पीएलएफएस, नौकरियों की गुणवत्ता और इसकी स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए रोजगार की स्थिति, काम के घंटे, प्रति घंटा आय, काम के अतिरिक्त घंटे, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त श्रमिकों की संख्या, भुगतान की गई छुट्टियां, लिखित नौकरी अनुबंध आदि पर आंकड़े भी एकत्र करता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान, सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों का व्यापक उद्योग-वार अनुमानित प्रतिशत वितरण अनुबंध में दिया गया है।

*****

1113294/2023/PQ CELL

अनुलग्नक

राज्य सभा के दिनांक 20.07.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों का व्यापक उद्योग-वार अनुमानित वितरण (% में)।

क्र. सं.	एनआईसी-2008 के अनुसार व्यापक उद्योग-वार	**2021-22**
1	कृषि	45.5
2	खनन एवं उत्खनन	0.3
3	विनिर्माण	11.6
4	बिजली, पानी, आदि.	0.6
5	निर्माण	12.4
6	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	12.1
7	परिवहन, भंडारण एवं संचार	5.6
8	अन्य सेवाएं	11.9
	कुल	**100**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 109

गुरूवार, 20 जुलाई, 2023 / 29 आषाढ़, 1945 (शक)

श्रमिकों में भेदभाव को खत्म करने की पहल

109. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए श्रम बाजारों में भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी पहल शुरू की गई हैं;
(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा घोषित की गई योजनाओं की सूची क्या है; और
(ग) इन योजनाओं के राज्य-वार लाभार्थी कितने हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सरकार ने "समान प्रतिकर अधिनियम, 1976" अधिनियमित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया गया है कि एक ही नियोक्ता द्वारा किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य और समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए वेतन से संबंधित मामलों में किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में कर्मचारियों के बीच लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए भर्ती करते समय, या भर्ती के बाद पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण जैसी किसी भी सेवा शर्त में महिलाओं के प्रति भेदभाव की रोकथाम का भी उपबंध किया गया है। अधिनियम के उपबंधों का विस्तार सभी प्रतिष्ठानों या नियोजनों तक किया गया है।

इसके अलावा, वेतन संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी कामगारों के बीच किसी भी भेदभाव के बिना समान रूप से देय है।

इसके अलावा, सरकार ने चार श्रम संहिताएं अधिनियमित की हैं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, तथा व्यावसायिक सुरक्षा,

स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं संहिता, 2020, जो अन्य बातों के साथ-साथ अनेक उपबंधों के माध्यम से गरिमापूर्ण तरीके से कार्यबल की भागीदारी को बढ़ावा देती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- मजदूरी, भर्ती से संबंधित मामलों तथा नियोजन की शर्तों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो,
- कामगारों की सहमति और सुरक्षा के अन्य पर्याप्त उपायों के अध्यधीन सभी प्रतिष्ठानों में सभी प्रकार के कार्यों के लिए सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद नियोजित किए जाने के लिए कामगारों की पात्रता।
- सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से शिशु-सदन की सुविधा का प्रावधान, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि।

*****

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 442

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2023

एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम

442. श्री कार्तिकेय शर्मा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वृध्दि और इनके विकास में सहायता प्रदान करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट वित्तीय सहायता कार्यक्रम या योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) सरकार ने विशेष रूप से संपार्श्विक-मुक्त ऋण, ब्याज दर राजसहायता और क्रेडिट गारंटी योजनाओं के संदर्भ में एमएसएमई के लिए ऋण और वित्त संबंधी सुविधा तक पहुंच को किस तरह से आसान बनाया है; और

(ग) कुशल श्रमिक की उपलब्धता बढ़ाने और एमएसएमई के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संवृद्धि और विकास में सहयोग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की कई स्कीमें हैं। उनमें से कुछ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट स्कीम, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत निधि, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम, आदि शामिल हैं।

(ख) सरकार द्वारा क्रेडिट वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के लिए कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी से संबंधित परेशानी के बिना 500 लाख रुपये तक की सीमा के ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) कार्यान्वित की जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत सरकार ने आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आरम्भ की, जिसमें एमएसएमई सहित मौजूदा पात्र व्यवसायों को 100% गारंटीकृत कोलेटरल रहित ऋण प्रदान किए गए।

(ग) वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम आरम्भ की है, जिसमें भारत सरकार द्वारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपये तक के पात्र कौशल विकास ऋण पर उधारकर्ताओं को गारंटी प्रदान करने के लिए कौशल विकास पर क्रेडिट गारंटी स्कीम भी चलाई जाती है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्व-रोज़गार या उद्यमशीलता को जीविका के एक विकल्प के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उद्यमिता कौशल विकास स्कीम कार्यान्वित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करना है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में आने वाले स्वायत्तशासी संगठन राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई द्वारा समर्थित विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं जिनमें लक्षित समूहों को स्वयं का उद्यम आरम्भ करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने के पश्चात परामर्श और हैंड होल्डिंग सहयोग प्रदान किया जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 502

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी

502. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) देश में एबीआरवाई के अंतर्गत आबंटित, संस्वीकृत और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने में क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार एबीआरवाई के अंतर्गत पात्रता शर्तों को संशोधित करने का है ताकि इसे और अधिक लाभकारी बनाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में रोजगार सृजन के संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। योजना के तहत अब तक महाराष्ट्र सहित वर्ष-वार और राज्य-वार हुई प्रगति का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

योजना के तहत धनराशि का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं होता है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2272.82 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। योजना के आरंभ से देश में दिनांक 18.07.2023 तक 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.44 लाख लाभार्थियों को 9,640.43 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है। महाराष्ट्र में, 22,438 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 9.78 लाख लाभार्थियों को 1440.80 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

(ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों पर केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, देश में रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हीं है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 24.07.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 502 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष	2020-21			2021-22			2022-23			01.04.2023 से 18.07.2023		
राज्य	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	23	177	7,05,404	12	289	58,55,984	1	12	47,50,921	-	1	3,46,223
आंध्र प्रदेश	1,475	34,740	958,84,394	2,185	1,13,678	12188,34,192	377	18,222	14991,34,008	4	164	2410,59,286
अरुणाचल प्रदेश	2	8	30,282	11	122	8,72,638	4	384	94,75,090	-	-	27,20,450
असम	157	1,929	51,99,806	402	15,182	1225,07,046	104	2,741	1708,60,879	4	40	251,05,737
बिहार	362	4,713	151,95,479	719	19,117	2591,37,749	128	4,433	3659,38,916	3	45	566,27,333
चंडीगढ़	605	14,669	389,20,290	875	44,728	4423,08,868	100	5,278	4531,09,740	2	114	615,82,704
छत्तीसगढ़	1,064	19,819	559,47,364	1,634	56,191	6267,35,263	240	9,008	8097,03,684	10	62	1244,90,859
दिल्ली	1,268	48,387	1261,99,744	1,625	1,61,216	13878,14,165	246	17,519	14043,96,048	5	393	1720,90,173
गोवा	260	5,418	159,46,071	246	13,806	1345,69,878	34	1,681	1404,03,013	2	35	185,61,822
गुजरात	6,532	1,58,119	4138,89,068	7,970	4,40,441	41245,51,428	1,036	44,455	45245,67,656	21	558	6903,90,433
हरियाणा	3,033	83,929	2453,01,617	4,018	2,80,116	25760,86,560	574	35,101	27024,38,159	11	1,022	3479,68,375
हिमाचल प्रदेश	890	19,975	561,80,627	1,096	57,289	5628,77,284	172	5,979	6139,73,030	3	115	839,72,107
जम्मू और कश्मीर	244	3,441	92,76,310	577	14,097	1761,41,966	68	1,821	2366,16,545	1	19	353,51,072
झारखंड	766	14,149	432,89,626	1,263	41,821	5002,01,030	213	6,706	5943,95,998	4	47	873,03,109
कर्नाटक	3,816	1,03,320	3112,33,481	5,970	3,34,240	34770,10,560	1,201	47,919	39649,91,545	7	799	4925,48,068
केरल	987	20,131	592,83,648	1,420	64,808	7350,59,852	319	11,212	9303,73,928	4	138	1354,94,371
लद्दाख	1	2	6,552	11	168	14,04,113	5	20	18,12,553	-	-	3,74,454
मध्य प्रदेश	2,519	47,381	1464,25,243	3,198	1,38,217	15719,31,200	516	19,718	16947,85,375	15	393	2378,66,531
महाराष्ट्र	7,977	2,06,408	5364,19,295	12,642	6,90,241	62569,71,165	1,790	80,294	66957,38,330	29	1,365	9189,00,313
मणिपुर	15	218	5,22,750	27	703	81,32,815	15	769	159,09,469	-	2	17,32,702
मेघालय	14	394	25,20,552	22	737	204,82,708	2	79	216,34,993	1	14	31,02,010
मिजोरम	5	98	3,62,412	10	271	64,42,842	-	8	72,89,184	-	-	11,29,486
नागालैंड	2	11	14,974	12	209	13,26,738	3	14	32,56,024	-	-	4,81,368
ओडिशा	1,383	20,745	566,36,945	2,455	59,212	7269,61,079	350	9,246	9544,33,241	6	93	1527,25,886
पंजाब	2,436	35,699	1088,73,292	3,628	1,20,698	14156,29,218	465	14,313	16268,14,231	12	177	2379,75,296
राजस्थान	4,133	68,318	1798,81,697	6,398	2,31,029	22278,20,778	924	26,502	26444,68,292	21	499	3849,32,044
सिक्किम	43	1,160	37,36,465	65	2,362	349,23,389	4	242	297,87,414	-	-	23,73,060
तमिलनाडु	6,038	1,70,388	3892,24,321	9,109	5,68,104	46997,83,659	1,558	77,627	54117,90,473	34	1,196	7299,03,646
तेलंगाना	2,073	54,989	1334,98,483	2,874	2,04,801	16477,71,711	429	22,391	17836,75,247	11	683	2515,71,724
त्रिपुरा	78	1,951	56,15,402	71	3,376	449,39,953	1	113	417,84,003	-	-	43,19,829
उत्तर प्रदेश	4,551	89,663	2812,27,623	6,912	3,00,544	33565,37,195	923	42,256	39765,00,920	18	768	5771,44,104
उत्तराखंड	1,068	23,216	693,14,418	1,165	61,581	6483,40,009	185	8,564	6790,87,869	5	113	910,76,615
पश्चिम बंगाल	2,405	43,555	1039,92,581	4,586	1,52,407	14436,15,081	697	31,093	19166,01,415	13	227	3282,26,337
योग	**56,225**	**12,97,120**	**35107,56,216**	**83,208**	**41,91,801**	**404635,78,116**	**12,684**	**5,45,720**	**459304,98,193**	**246**	**9,082**	**64994,47,527**

स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 514

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या

514. श्री धर्मवीर सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असंगठित श्रम क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) देश में विशेष रूप से हरियाणा में असंगठित श्रम क्षेत्र को विनियमन मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2020 से 2023 तक कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी आजीविका गंवाने वाले व्यक्तियों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई आंकड़े एकत्र किए गए हैं; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान अपनी आजीविका गंवा चुके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 43.99 करोड़ है।

दिनांक 18.07.2023 की स्थिति के अनुसार 28.96 करोड़ से अधिक कामगारों को ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, जिनमें से लगभग 52.70 लाख कामगारों को हरियाणा में ई-श्रम पर पंजीकृत किया गया है।

जारी....2/-

सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे भारत में श्रम कल्याण और रोजगार सृजन के लिए उपाय किए हैं। सरकार ने व्यापार में प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। इसके अंतर्गत, सरकार ने सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया।

कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार सृजन और रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की गई थी। लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। योजना की शुरुआत से दिनांक 11.03.2023 तक, इस योजना के तहत 60.3 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

अपने गृह राज्य वापस गए असंगठित कामगारों हेतु रोजगार की सुविधा के लिए, 20 जून 2020 को 125 दिनों के लिए 116 जिलों में मिशन मोड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर लौटने वाले असंगठित कामगारों और इसी प्रकार से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) स्कीम के अंतर्गत भी बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों (आईपी) के लिए दिनांक 24.03.2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक राहत में वृद्धि करते हुए इसे कर्मचारी के प्रतिदिन की औसत आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया गया था।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 544

सोमवार, 24 जुलाई 2023 / 2 श्रावण, 1945 (शक)

निधियों का अल्प उपयोग

544. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इन योजनाओं के लिए आबंटित राशि से कम राशि का उपयोग किया है.

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसमें आबंटित पूर्ण राशि का या करीब-करीब पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया था,

(ग) क्या निधियों के अत्यधिक कम उपयोग ने कतिपय योजनाओं के कार्य निष्पादन को प्रभावित किया है जिससे लक्षित समूहों को लाभ पहुंचाने में इन योजनाओं के प्रशंसनीय इरादे विफल हो गए हैं,

(घ) यदि हां, तो सरकार ऐसी योजनाओं पर खर्च करने के तरीके को लेवेरज करने पर विचार कर रही है जहां उपयोग प्रतिशत मानक के अनुरूप नहीं है ताकि 2022-23 के आबंटन की इष्टतम उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): जी, नहीं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपने आवंटित बजट का 87% से अधिक उपयोग कर लिया है।

(ख): वित्त वर्ष 2022-23 में अपने बजट की आबंटित पूर्ण राशि या करीब-करीब पूर्ण राशि का उपयोग नहीं कर सकी योजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): निधियों का अत्यधिक अल्प उपयोग नहीं किया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिकांश योजनाएं मांग आधारित हैं और इन योजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ड़): वित्त वर्ष 2022-23 में योजनाओं की व्यय पद्धति के आधार पर, संशोधित अनुमान (आरई) 2022-23 और अंतिम अनुमान (एफई) 2022-23 चरण में, विभिन्न योजनाओं के तहत बजट संशोधित किया गया ताकि आबंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

* *****

अनुबंध

"निधियों का अल्प उपयोग" के संबंध में पूछे गए दिनांक 24.07.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 544 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उन योजनाओं का ब्यौरा जिनमें आबंटित बजट से कम उपयोग किया गया है

करोड़ रूपये में

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23	अंतिम अनुमान 2022-23	दिनांक 31.03.2023 तक कुल व्यय
1	श्रम एवं रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली	89.00	80.00	50.72	49.16
2	श्रमिक कल्याण योजना	120.00	120.00	91.60	80.79
3	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	350.00	350.00	281.19	281.19
4	व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना	50.00	10.00	0.03	0.03
5	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	6400.00	5758.06	4636.00	4636.00
6	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	10.00	10.00	5.16	5.16
7	असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस	500.00	400.00	124.48	123.99
8	राष्ट्रीय कैरियर सेवाएँ	52.00	42.00	44.07	43.99

******

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 581

सोमवार, 24 जुलाई, 2023 / 2 श्रावण, 1945 (शक)

शाहजहांपुर में श्रमिकों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न

581. श्री अरूण कुमार सागर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश् के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निजी उद्यमों और कंपनियों के संचालक श्रम कानूनों का भारी उल्लघंन कर रहे है जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत होने के कारण, श्रम कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में किया जाता है। जबकि केन्द्रीय क्षेत्र में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रवर्तन किया जाता है, राज्य क्षेत्र में राज्य श्रम प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र में निजी उद्यमों और कंपनी मालिकों द्वारा श्रमिकों के शोषण और उत्पीड़न के संबंध में ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

******

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 586

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

ईपीएफ योजना

586. डॉ. संघमित्रा मौर्य :
श्री संजय जाघव:
श्रीमती केशरी देवी पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं:

(ख) वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) नियमित आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करने वाले कर्मचारियों की राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बदायूं ओर महाराष्ट्र के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंडों में ढील देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या बड़ी संख्या में स्टाफ/ कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई तीन योजनाओं में से एक है। ईपीएफ योजना, 1952 का उद्देश्य ईपीएफ द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत 15,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले किसी भी कवर किए गए प्रतिष्ठान के कर्मचारी को वैधानिक रूप से निधि में शामिल होने के लिए उसे मजदूरी का 12% अंशदान करना आवश्यक है, जिसमें मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है। नियोक्ता द्वारा भी मजदूरी का 12% अंशदान करना अपेक्षित है। कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें

केंद्र सरकार, नियोक्ताओं, कर्मचारियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ईपीएफ योजना, 1952 का सदस्य उक्त स्कीम में यथाविहित प्रावधानों के अनुसार ईपीएफ से विभिन्न उद्देश्यों (जैसे आवासीय घर की खरीद/निर्माण, बीमारी, शिक्षा, विवाह, कोविड-19 आदि) के लिए निकासी और अग्रिम लाभ का पात्र है। कोई सदस्य प्रत्येक वर्ष अपने पीएफ में संचित राशि पर ब्याज पाने का हकदार भी होगा।

(ख) और (ग): ईपीएफ में नियमित आधार पर (पिछले एक वर्ष के दौरान वेतन माह जुलाई, 2022 से जून, 2023 तक सार्वभौम खाता संख्या में कम से कम एक बार अंशदान करने वाले और स्कीम से बाहर न निकलने वाले) अंशदान करने वाले कर्मचारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (उत्तर प्रदेश के बदायूं और प्रयागराज जिलों और महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के विवरण सहित) विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में, यह सीमा दिनांक 01.09.2014 से 15000/- रुपये प्रति माह है।

(ङ): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कतिपय खातों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, निष्क्रिय खातों में कुल राशि 4962.70 करोड़ रुपये हैं।

*

*****

'

"ईपीएफ योजना" के संबंध में डॉ. संघमित्रा मौर्य, श्री संजय जाधव, श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा दिनांक 24.07.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 586 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईपीएफ में नियमित आधार पर (वेतन माह जुलाई, 2022 से जून, 2023 तक पिछले एक वर्ष के दौरान सार्वभौम खाता संख्या में कम से कम एक बार अंशदान करने वाले और बाहर नहीं निकलने वाले) अंशदान करने वाले कर्मचारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (उत्तर प्रदेश के बदायूं और प्रयागराज जिलों और महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के विवरण सहित) विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कर्मचारी
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20240
2	आंध्र प्रदेश	1500966
3	अरुणाचल प्रदेश	11642
4	असम	361954
5	बिहार	1163720
6	चंडीगढ़	594835
7	छत्तीसगढ़	656683
8	दादरा और नगर हवेली	165025
9	दमन और दीव	109811
10	दिल्ली	4007063
11	गोवा	250279
12	गुजरात	4187709
13	हरियाणा	3617407
14	हिमाचल प्रदेश	435518
15	जम्मू और कश्मीर	194754
16	झारखंड	690022
17	कर्नाटक	7537917
18	केरल	1249560
19	लद्दाख	2356
20	लक्षद्वीप	40
21	मध्य प्रदेश	1453179
22	महाराष्ट्र	13431905 रत्नागिरी (37782) और सिंधुदुर्ग (8422)
23	मणिपुर	16924
24	मेघालय	41049
25	मिजोरम	4234
26	नागालैंड	11224
27	ओडिशा	1091497
28	पुदुचेरी	132719
29	पंजाब	851871
30	राजस्थान	1725304
31	सिक्किम	30711
32	तमिलनाडु	6530368
33	तेलंगाना	3966619
34	त्रिपुरा	33572
35	उत्तर प्रदेश	3145415 बदायूं (4287) और प्रयागराज (76790)
36	उत्तराखंड	734969
37	पश्चिम बंगाल	3264085
	कुल	**63223146**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 612

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

उच्चतर पेंशन के लिए ई.पी.एफ.ओ. का एकीकृत पोर्टल

612. डॉ. एस.के.विष्णु प्रसाद :
श्री टी.आर.वी.एस. रमेश :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किए गए एकीकृत पोर्टल में अव्यवहार्य आवश्यकताओं और जटिल प्रक्रिया के प्रति आलोचना पर ध्यान किया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि नए संयुक्त विकल्प का उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों को किसी अन्य दस्तावेज पर जोर दिए बिना सीधे संयुक्त विकल्प को ऑफलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 26(6) के अनुसार वास्तविक वेतन पर अधिक अंशदान शुरू करते समय दिए जाने वाले संयुक्त विकल्प का प्रमाण अपलोड करने के लिए पोर्टल में लगाई गई शर्त को वापस लेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): उच्चतर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने हेतु एकीकृत पोर्टल में प्रक्रिया, सरल और समझने में आसान है और इसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), 1952, कर्मचारी पेंशन

योजना (ईपीएस), 1995 के प्रावधानों और 2019 के एसएलपी संख्या (सी)8658-8659 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुसार सरल अपेक्षाएं शामिल हैं। सदस्यों और पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देशभर में स्थित (ईपीएफओ) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को इन ऑनलाइन फॉर्मों कोभरने के लिए आवेदकों की सहायता करने का निर्देश दिया है।

ऑनलाइन विकल्प फॉर्म में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के उपरोक्त निर्णय के अनुसार ईपीएफ योजना, 1952 और ईपीएस, 1995 की सरल अपेक्षाएं शामिल हैं।

ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 26 (6) के तहत संयुक्त विकल्प कोई नई आवश्यकता नहीं है और यह ईपीएस, 1995 से पूर्ववर्ती है। इसकी आवश्यकता योजना के प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार थी।

तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प के संबंध में प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य नहीं है और उच्चतर मजदूरी पर पेंशन के लिए आवेदकों की सुविधा हेतु ईपीएफओ द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं कि जहां भी ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) के अंतर्गत ईपीएफओ को देय अंशदान और प्रशासनिक शुल्क पूर्ण रूप से जमा कर दिए गए हैं, वहां पेंशन प्रदान करने से पहले इस फार्म को किसी भी समय भरा जा सकता है।

******

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 613

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

इंडो-एशियन न्यूज चैनल प्राइवेट लिमिटेड

613. श्री के. सुधाकरनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को दिनांक 22.06.2023 को आरओसी एर्नाकुलम के अंतर्गत इंडो-एशियन न्यूज चैनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू92130केएल 2010पीटीसी026426, पंजीकरण संख्या 26426) के शेयरों के अंतरण की जांच करने और कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कंपनी पर अपने कर्मचारियों का वेतन, भविष्य निधि आदि के रूप में बकाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने की संभावना है;

(ड) क्या इस कंपनी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना प्रसारण लाइसेंस किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन व्यक्तियों के बीच स्वामित्व अंतरण किया गया है वे प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न एजेंसियों तथा प्रवर्तन निदेशालय सहित जांच के अधीन मुत्तिल मारम मुरी मामले सहित आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): जी, हां। श्री कुंबाकुड़ी सुधाकरण, माननीय सांसद से इस संबंध में दिनांक 22.06.2023 का पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख): उक्त पत्र प्राप्त होने पर, प्रादेशिक निदेशक (दक्षिण क्षेत्र)/कंपनी रजिस्ट्रार, केरल को इस मामले की जांच करने तथा तत्काल की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। कंपनी रजिस्ट्रार, केरल ने प्रादेशिक निदेशक (दक्षिण क्षेत्र) को भेजी गई दिनांक 18.07.2023 की अपनी आंतरिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उन्होंने जांच के लिए शेयर हस्तांतरण से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कंपनी को कहा है। कंपनी के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ): एमसीए द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि इत्यादि के रूप में किसी बकाया राशि के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निम्नलिखित सूचना दी हैः

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 के प्रासंगिक उपबंधों के तहत जांच के प्रकार	**आकलित राशि (लाख रु में)**
7क	66.40
14ख	54.37
7थ	16.73
कुल	**137.50**

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 8(ख) से 8(छ) में यथा उपबंधित बकाया राशि की वसूली के लिए प्रतिष्ठान तथा नियोक्ता के विरूद्ध पहले से कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, जिसमें चूककर्ता को सीपी-1 मांग नोटिस जारी करना, बैंक को सीपी-3 प्रतिबंधात्मक आदेश तथा सीपी-25 नोटिस, यह कारण बताने के लिए कि प्रबंध निदेशक, श्री एन.वी. निकेश कुमार को गिरफ्तारी वारंट क्यों नहीं जारी किया जाए।

(ङ.): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि उन्हें अपने समाचार चैनल अर्थात् "रिपोर्टर" के संबंध में कंपनी से प्रसारण की अनुमति के अंतरण के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च): कंपनी रजिस्ट्रार, केरल से पूछे गए गए प्रश्न पर, कंपनी ने दिनांक 18.07.2023 के उत्तर ईमेल के माध्यम से कहा है कि बहुमत शेयरधारिता के मामले में स्वामित्व हस्तांतरण पूरा हो

गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सम्यक प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं संकलित की गई हैं। कंपनी रजिस्ट्रार, केरल ने दिनांक 18.07.2023 के मेल के माध्यम से कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार, केरल द्वारा अवलोकन और जांच के लिए शेयर हस्तांतरण से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है और कंपनी के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय ने सूचित किया है कि यद्यपि उन्हें शेयरों के मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वे वायनाड, केरल के पास 8 करोड़ रुपये की रोजवुड की अवैध कटाई और बिक्री के लिए केरल पुलिस की एफआईआर संख्या 121/2021 के आधार पर दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कंपनी के खिलाफ धन शोधन के मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले को स्थानीय रूप से मुत्तिल ट्री कटिंग मामले या मुत्तिल मारम मुरी मामले के रूप में भी जाना जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सूचित किया है कि कंपनी ने दिनांक 25.04.2023 और 28.04.2023 के अपने ऑनलाइन आवेदनों के माध्यम से मंत्रालय को अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न और निदेशक मंडल में परिवर्तन के बारे में सूचित किया है और इसे गृह मंत्रालय (एमएचए) को अग्रेषित कर दिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 649

सोमवार, 24 जुलाई, 2023 / 2 श्रावण, 1945 (शक)

कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी

649. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पिछले दो वर्षों के दौरान कई कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी की गई है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों और निकाले गए श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अचानक ऐसे बड़े पैमाने पर छंटनी की स्थिति में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किसी तरह की नीतियां बनाई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निकाले गए कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से उनके भविष्य निधि बकाया जैसे उचित लाभ दिए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छंटनी से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। आईडी अधिनियम के अनुसार, 100 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने या छंटनी या बर्खास्तगी से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। आईडी अधिनियम में नौकरी से निकाले गए और छंटनी किए गए कामगारों को प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है और इसमें छंटनी किए गए कामगारों को पुनः रोजगार देने का प्रावधान भी शामिल है।

एक विषय के रूप में "श्रम" समवर्ती सूची में आता है। आईडी अधिनियम में सीमांकित अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकारें कामगारों के मुद्दे का समाधान करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करती हैं। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में, केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने और छंटनी तथा इसकी रोकथाम से संबंधित मामलों सहित कामगारों के हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।

जारी....2/-

इसी प्रकार, विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आईडी अधिनियम के तहत कार्य सौंपा गया है और अपनी सूचना का रख-रखाव करने का दायित्व सौंपा गया है।

जहां तक केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का संबंध है, प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-22 में किसी भी कर्मचारी की छंटनी किए जाने की सूचना नहीं है। वर्ष 2022-23 में, मेसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में 4,810 कामगारों की छंटनी आग लगने की घटना के कारण की गई। छंटनी किए गए कामगारों को 44,69,210.49 रुपये (चवालीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ दस रुपये और उनचास पैसे) की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, दिनांक 06.03.2023 से मेसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा छंटनी किए गए कर्मचारियों को काम पर वापस रखा गया और उनके नियमित तथा सामान्य कार्यों में नियोजित किया गया।

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1351

उत्तर देने की तारीख 27.07.2023

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार हेतु वित्तीय सहायता

1351. डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) के पुनरुद्धार के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या कोविड महामारी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों की नौकरियां चली गयी हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) : सरकार ने ओड़िशा राज्य सहित देशभर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कार्यक्रमों, स्कीमों और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई घोषणाओं तथा केन्द्रीय बजट में की गई घोषणाओं के जरिए कई पहलें की हैं। वित्तीय सहायता हेतु की गई कुछ पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए गारंटीकृत आकस्मिक क्रेडिट लाइन आकस्मिक क्रेडिट /(जीईसीएल) 5 के अंतर्गत (ईसीएलजीएस) लाइन गारंटी स्कीम. लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल मुक्त 00स्वचल ऋण की व्यवस्था। यह स्कीम दिनांक 31.03.तक कार्यशील थी 2023;

(ii) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जोकि एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है (पीएमईजीपी) रोजगार सृजित करना है-जिसका उद्देश्य स्व; तथा

(iii) क्रेडिट वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा बिना कोलेट्रल और तृतीय पक्षकार गारंटी की अड़चनों के सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र तक क्रेडिट के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम ।(सीजीएस)

(ग) से (ङ) : एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है। ईसीएलजीएस, पीएमईजीपी तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत ओड़िशा राज्य के लिए एमएसएमई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है:-

भारत सरकार ने रोजगार के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) एमएसएमई क्षेत्र के दायरे का विस्तार करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई की (क) द्विसंख्य मानदंड पर आधारित परिभाषा को दिनांक 26.06. को 2020स्वीकृत।

01 एमएसएमई के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए दिनांक (ख).07.को उद्यम 2020 26 पोर्टल की शुरुआत की गई। तब से लेकर दिनांक.07.2 तक 2023.करोड़ एमएसएमई ने उद्यम 09 12 पोर्टल पर पंजीकरण किया है तथा इन एमएसएमई में.करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रा 57प्त हुआ है।

(ग)अभिसरण तथा समन्वित प्रतिक्रिया के उद्देश्य से अन्य मंत्रालयोंविभागों और राज्य सरकारों के / जून 29 पोर्टलों के साथ उद्यम पोर्टल का एकीकरण करने के लिए दिनांक, 2022 को उद्यम शक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई।

(ii) नए रोजगार के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले लोगों के रोजगार को पुन : अक्तूबर 01 बहाल करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु दिनांक, 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इसमें पंजीकरण की अंतिम (एबीआरवाई) 31 तारीख.03. थी। 2022

(iii) सरकार फुटकर विक्रेताओं को कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए अपने व्यवसायों को पुनशुरू करने के लिए कोलेट्रल मुक्त कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को : जून 01 सुविधाजनक बनाने हेतु दिनांक, 2020 से प्रधान मंत्री फुटकर विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम) का कार्यान्वयन कर रही है। (स्वनिधि स्कीम

(iv) सरकार द्वारा स्वकी (पीएमएमवाई) रोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना- लघु व्यवसाय वाले उद्यमों तथा/शुरुआत की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्मव्यक्तिगत इकाई वालों को अपने व्यावसायिक कार्यकलापों की स्थापना अथवा उनका विस्तार करने हेतु लाख रुपए तक 10 का कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

(v) पीएम गतिशक्ति आर्थिक संवृद्धि और सतत विकास के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन वाला दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात संवाहकों अर्थात् सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, सार्वजनिक यातायात, जलमार्ग तथा लॉजिस्टिक्स अवसंरचना द्वारा संचालित होता है। यह दृष्टिकोण 'स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास' द्वारा प्रशस्त होता है जिसके परिणामस्वरूप सभी संबंधितों को व्यापक रूप से रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त होते हैं।

(vi) भारत सरकार रोजगार सृजन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना तथा दीन (जीकेवाई-डीडीयू) आदि जैसी स्कीमों पर (एनयूएलएम-डीएवाई) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - दयाल अंत्योदय योजना व्यापक निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

बजट, 2022 में की गई घोषणा के अनुसरण में उद्यम पोर्टल को ईश्रम-, राष्ट्रीय कॅरियर सेवा के अन्य पोर्टलों के साथ जोड़ा गया है तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रा (एनसीएस)लय के कौशल भारत डिजिटल पोर्टल के साथ समेकन की प्रक्रिया जारी है। (एसआईडी)

अनुबंध - क

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1351 जिसका उत्तर 27.07.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ग) से (ड.) में संदर्भित अनुबंध - क

विगत पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता का योजनावार विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	2019-20	2020-21	2021-2022	2022-23	2023-24 (दिनांक 30.06.2023 तक)
(i)	**आकस्मिक क्रेडिट लाइन - गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) :**					
(क)	एमएसएमई को जारी गारंटियों की संख्या	------	8,62,108	56,307	7,809	यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक प्रचालन में थी
(ख)	गारंटीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	------	3,725.89	1209.00	500.17	
1.	**प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) :**					
(क)	सहायता प्रदत्त इकाइयों की संख्या	2,723	3,171	4,301	3,880	552
(ख)	संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) (करोड़ रुपए में)	78.17	87.48	113.36	107.33	18.02
2.	**सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) :**					
(क)	जारी की गई गारंटियों की संख्या	26,167	28,288	25,778	34,081	7,889
(ख)	गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)	1,347.05	1,133.71	1,801.05	3,044.90	894.60

स्रोत :

i) ईसीएलजीएस - वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय

ii) पीएमईजीपी - केवीआईसी, मुम्बई

iii) सीजीएस - सीजीटीएमएसई मुम्बई

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1670

सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए श्रमिक

1670. श्री जी.एम.सिद्देश्वर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सहित देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कितने श्रमिकों को शामिल किया गया है;

(ख) असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड और दिशानिर्देश हैं;

(ग) क्या असंठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए उनकी कोई पहचान और पंजीकरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पहचान और पंजीकृत किए गए श्रमिकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): असंगिठत कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण, इत्यादि से संबंधित उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और नि:शक्तता कवर प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, 436/- रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2.00 लाख रुपए है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के उन लोगों के लिए (पीएमएसबीवाई) भी उपलब्ध है जिनका बैंक/डाकघर में खाता है। इस योजना के तहत 20/- रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी अशक्तता के मामले में 2.00 लाख रुपए और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी निःशक्तता के लिए 1.00 लाख रुपए की जोखिम बीमा है। दिनांक 28.06.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में क्रमशः पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कुल 16,92,48,279 और 36,17,75,732 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है। कर्नाटक में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 75,43,970 और 1,61,70,795 है।

जारी..2/-

(ii) वंचन और व्यवसाय मानदंडों के अंतर्गत आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा सुनिश्चित की जाती है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक देखभाल से संबंधित अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5.00 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। दिनांक 25.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 24.19 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है और देश में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और कर्नाटक में यह संख्या 1,41,20,609 है।

(iii) भारत सरकार ने, वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए, वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना आरंभ किया। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् न्यूनतम 3000/- रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन का प्रावधान है। 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपए या इससे कम है, पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मात्रा में अंशदान का भुगतान किया जाता है। दिनांक 25.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 49,47,212 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और कर्नाटक राज्य में लाभार्थियों की संख्या 1,30,527 है।

उपर्युक्त के अलावा, श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों के लिए उनकी पात्रता से संबंधित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इत्यादि जैसी अन्य योजनाएं भी उपलब्ध हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक अर्हता, कौशल के प्रकार, परिवार के विवरण आदि शामिल हैं। दिनांक 25.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 28.97 करोड़ असंगठित कामगारों की पहचान की गई है और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

*****

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1686

(जिसका उत्तर सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

अकार्यशील कंपनियां

1686. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अकार्यशील सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;
(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान बंद हुई कंपनियों की संख्या कितनी है और उनके बंद होने के प्रमुख कारणों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कंपनियों से नई कंपनियों में कितने लोगों को रोजगार मिला है और कंपनियों के बंद होने के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सभी कंपनियां तब तक कार्यशील हैं, जब तक, उन्होंने स्वयं को निष्क्रिय घोषित नहीं किया है। सूचीबद्ध कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचित किया गया है कि वे किसी कंपनी को कार्यशील और अकार्यशील में वर्गीकृत नहीं करते हैं।

सेबी ने सूचित किया है कि किसी सूचीबद्ध कंपनी को गैर-अनुपालनकर्ता सूचीबद्ध कंपनी माना जाता है जब वह प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमों/सूचीकरण करारों/विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहती है। गैर-अनुपालन करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित का अनुसरण किया जाता है-

<u>प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957</u>

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का नियम 21 प्रतिभूतियों की डीलिस्टिंग से संबंधित है, जिसमें प्रावधान है कि एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उस पर सूचीबद्ध किसी भी प्रतिभूतियों को डीलिस्ट कर सकता है-

क) कंपनी को पूर्ववर्ती लगातार तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ हो और इसका नकारात्मक नेटवर्थ हो;

ख) कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निलंबित रहा हो;

ग) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों का अकसर कारोबार नहीं होता रहा है;

घ) कंपनी या उसके किसी संप्रवर्तक या उसके किसी निदेशक को अधिनियम या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, करारों, जैसा भी मामला है, में से किसी प्रावधान का पालन करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया गया है और उस पर कम से कम एक करोड़ रुपये का जुर्माना या कम से कम तीन वर्ष का कारावास लगाया गया है।

ङ) कंपनी या उसके किसी प्रमोटर या उसके किसी भी निदेशक के पते ज्ञात नहीं हैं या गलत पते प्रस्तुत किए गए हैं या कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने पंजीकृत कार्यालय को बदल दिया है; या पब्लिक द्वारा धारित कंपनी की शेयरधारिता अधिनियम के तहत लिस्टिंग समझौते के अनुसार कंपनी पर लागू न्यूनतम स्तर से नीचे आ गई है और कंपनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक स्तर तक सार्वजनिक होल्डिंग को बढ़ाने में विफल रही है।

च) जनता द्वारा धारित कंपनी की शेयरधारिता अधिनियम के तहत सूचीबद्धता करार के अनुसार कंपनी पर लागू न्यूनतम स्तर से नीचे आ गई है और कंपनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक स्तर तक सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने में विफल रही है।

<u>सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021</u>

2. इसके अतिरिक्त, सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के विनियमन 32 के अनुसार, सेबी ने प्रावधान किया है कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तर्कसंगत आदेश के माध्यम से उपरोक्त आधार पर किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को अनिवार्य रूप से डीलिस्ट कर सकता है।

इसके अलावा, सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के विनियमन 34 के संदर्भ में, सेबी ने अनिवार्य डीलिस्टिंग के मामले में कुछ परिणाम भी लगाए हैं, जो निम्नानुसार हैं-

i. जहां किसी कंपनी को अनिवार्य रूप से डिलिस्ट किया गया है, वहां प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशकों, व्यक्तियों और उन कंपनियों को, जो उनमें से किसी द्वारा प्रोत्साहित की जाती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने या किसी भी इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने की मांग करने या ऐसी लिस्टिंग करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

ii. इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में जहां ऐसी कंपनी के प्रमोटर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, कुछ अतिरिक्त परिणाम लगाए जाते हैं, जैसा कि निम्नानुसार प्रावधान किया गया है-

क) ऐसी कंपनी और निक्षेपगारों को संप्रवर्तकों/संप्रवर्तक समूह द्वारा धारित किसी भी इक्विटी शेयरों के विक्रय, गिरवी आदि के रूप में अंतरण को प्रभावी करने की अनुमति नहीं है और प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयरों के लिए लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कारपोरेट लाभों को रोक दिया जाता है।

ख) अनिवार्य रूप डिलिस्ट की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के पात्र नहीं हैं।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में अर्थात् जनवरी 2018 से 18 जुलाई, 2023 तक अनिवार्य रूप से डीलिस्ट की गई ऐसी कंपनियों की संख्या 781 है।

(ख): ऐसी 150505 कंपनियां हैं जो पिछले दो वर्षों अर्थात 01.04.2021 से 31.03.2023 के दौरान बंद हो गई हैं। इन कंपनियों के बंद होने के प्रमुख कारणों में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 248(1) के तहत कंपनियों के नाम हटाने और अधिनियम की धारा 248(2) के तहत उनके नाम हटाने के लिए कंपनियों द्वारा किए गए स्वैच्छिक आवेदन, अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों का समामेलन/विलय, कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत कंपनियों के विघटन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) द्वारा शुरू की गई कार्रवाई है।

(ग): इस मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1692

सोमवार, 31 जुलाई, 2023 / 9 श्रावण, 1945 (शक)

महिलाओं हेतु भविष्य निधि के अंतर्गत राशि में वृद्धि

1692. श्री संजय भाटिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विशेष रूप से महिलाओं के लिए कोई भविष्य निधि योजना है; और

(ख) क्या सरकार का महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से भविष्य निधि के तहत राशि को 50 प्रतिशत बढ़ाने का कोई विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तैयार की गई तीन स्कीमों में से एक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 है। ईपीएफ स्कीम, 1952 का उद्देश्य ईपीएफ द्वारा कवर किए गए किसी प्रतिष्ठान में पुरुष और महिला का भेदभाव किए बिना नियोजित कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएफ स्कीम, 1952 के अंतर्गत, 15000/- रुपये तक मासिक मजदूरी आहरित करने वाले किसी ईपीएफ द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठान के कर्मचारी से सांविधिक रूप में निधि से शामिल होना एवं मजदूरी का 12% अंशदान करना अपेक्षित है, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है। नियोक्ता को भी मजदूरी का 12% अंशदान करना आवश्यक है।

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का अधिनियमन किया है, जिसमें ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 सहित 9 श्रम कानूनों को सम्मिलित किया गया है। संहिता के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, अधिसूचना द्वारा, कर्मचारियों के अंशदान की दरों और उस अवधि को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके लिए कर्मचारी के किसी वर्ग के लिए ऐसी दरें लागू होंगी। संहिता के उक्त प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

*****

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1783

सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना

1783. डॉ. डी. रविकुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) वर्ष 2020 तक कृषि मजदूरों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का कृषि श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/-रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) नामक एक पेंशन योजना शुरू की थी। भूमिहीन कृषि मजदूरों सहित कामगार इस योजना के लिए या तो maandhan.in पोर्टल के माध्यम से स्व-पंजीकरण द्वारा या किसी भी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर निशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। 5 लाख से अधिक सीएससी मौजूद हैं। यह एक स्वैच्छिक और सह-अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा प्रवेश आयु के आधार पर देय मासिक अंशदान का 50% अर्थात् 55/- रुपये से 200/- रुपये के बीच होता है और केंद्र सरकार द्वारा समान मैचिंग अंशदान का भुगतान किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना का निधि प्रबंधक है।

(ख) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 46.5% व्यक्ति कृषि कार्यकलाप में शामिल हैं:

क्रम संख्या	पुरूष (% में)	महिला (% में)	(कुल % में)
1.	39.8	62.2	46.5

(ग): चूंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कृषि सहित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, समीक्षा और संशोधन करने के लिए समुचित सरकार हैं, इसलिए एक समुचित सरकार की न्यूनतम मजदूरी की दरें दूसरी सरकारों से भिन्न होती हैं।

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1982

उत्तर देने की तारीख : 01.08.2023

ट्रांसजेंडरों को सुविधाएं

1982. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पेंशन योजना से लाभान्वित होने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार विभिन्न केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कुल संख्या 1768 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची संलग्न है।

(ख): सरकार दिल्ली, ठाणे, कोलकाता (2 गरिमा गृह), मुंबई, भुवनेश्वर, बड़ोदरा, रायगढ़, चेन्नई, जयपुर, पटना तथा रायपुर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 12 ''गरिमा गृह''- आश्रय गृहों की स्थापना करने तथा उनका रखरखाव करने के लिए समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) की सहायता करती है।

गरिमा गृह के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल तथा मनोरंजन सुविधाओं जैसी बनुयादी सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के क्षमता निर्माण/ कौशल विकास हेतु भी सहायता उपलब्ध कराता है।

अनुबंध

"ट्रांसजेंडरों को सुविधाएं" विषयक लोक सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1982 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनपीएस में "ट्रांसजेंडर" श्रेणी के अंतर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या (30 जून, 2023 के अनुसार)			
क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या	एनपीएस के अंतर्गत बहिर्गत लाभार्थी (कॉलम ग से बाहर)
क	ख	ग	घ
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	-
2	आन्ध्र प्रदेश	32	-
3	असम	37	-
4	बिहार	40	1
5	चंडीगढ़	2	-
6	छतीसगढ़	88	-
7	दिल्ली	39	-
8	गोवा	13	-
9	गुजरात	87	1
10	हरियाणा	90	-
11	हिमाचल प्रदेश	15	-
12	जम्मू और कश्मीर	6	-
13	झारखंड	15	1
14	कर्नाटक	179	-
15	केरल	65	1
16	मध्य प्रदेश	93	-
17	महाराष्ट्र	207	-
18	एनआरआई	2	-
19	ओडिशा	73	-
20	पांडिचेरी	5	-
21	पंजाब	79	-
22	राजस्थान	61	-
23	सिक्किम	1	-
24	तमिलनाडु	94	-
25	तेलंगाना	17	-
26	त्रिपुरा	3	-
27	उत्तर प्रदेश	314	-
28	उत्तरांचल	41	1
29	पश्चिम बंगाल	67	-
30	दादरा और नगर हवेली	1	-
	कुल	1,768	5

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *163

गुरूवार, 03 अगस्त, 2023/12 श्रावण, 1945 (शक)

रोजगार सृजन का स्वतंत्र आकलन

***163. डा. अशोक कुमार मित्तलः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अब तक 1.25 करोड़ नौकरियों के सृजन का सत्यापन करने के लिए कोई स्वतंत्र आकलन किया है;

(ख) क्या मंत्रालय के पास उन क्षेत्रों और उद्योगों से संबंधित विस्तृत आंकड़े हैं जिनमें इस अवधि के दौरान सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया है जिसमें मजदूरी का स्तर, रोजगार सुरक्षा और कौशल संबंधी आवश्यकताएं जैसे कारक शामिल हों; और

(घ) क्या मंत्रालय, सभी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, औपचारिक रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और अनौपचारिक तथा अनिश्चित कार्य व्यवस्थाओं को रोकने के लिए उपाय कर रहा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

1113294/2023/PQ CELL

"रोजगार सृजन का स्वतंत्र आकलन" के संबंध में डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 03.08.2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): वर्ष 2014-15 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 15.84 करोड़ थी जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 27.73 करोड़ हो गई है। इसके साथ-साथ, पेंशनभोगियों की संख्या भी वर्ष 2014-15 में 51.04 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 72.73 लाख हो गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सितंबर, 2017 से अपना मासिक पे-रोल डेटा प्रकाशित कर रहा है जिससे औपचारिक क्षेत्र में रोजगारों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। देश में ईपीएफ अंशधारकों में निवल वृद्धि, वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 122.3 लाख और वर्ष 2022-23 के दौरान 138.5 लाख थी।

श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) से क्रमबद्ध तिमाहियों में, भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों के संबंध में रोजगार की स्थिति का आकलन किया जाता है। यह चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और वित्तीय सेवाएं हैं। क्यूईएस (जनवरी-मार्च, 2022) से यह जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था के इन नौ क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 3.18 करोड़ हो गया, जबकि छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) के अनुसार इन क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ था जो कि 34% वृद्धि को दर्शाता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), वर्ष 2017-18 से, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र करता है। नौकरियों की गुणवत्ता और इसकी स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए पीएलएफएस सर्वेक्षण, रोजगार की स्थिति, काम के घंटे, प्रति घंटा आय, काम के अतिरिक्त घंटे, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त श्रमिकों की संख्या, भुगतान की गई छुट्टियां, लिखित नौकरी अनुबंध आदि पर भी आंकड़े एकत्र करता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान, सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों का व्यापक उद्योग-वार अनुमानित प्रतिशत वितरण **अनुबंध** में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह अत्यधिक वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां इस पैकेज में शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 18 जुलाई, 2023 तक, इस योजना के तहत 60.44 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म एवं लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें और अधिक समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। इस पहल को सात घटकों जैसे कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा गति मिलती है। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित होती है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होते हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

सरकार ने वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, नामक चार श्रम संहिताएं लागू की हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, इनके कई प्रावधानों के माध्यम से सम्मान जनक तरीके से कार्यबल की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से है जैसे कि सभी श्रमिकों को समय पर वेतन का भुगतान करना , नियुक्ति पत्र का प्रावधान करना और श्रमिकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी प्रावधान उपलब्ध करवाना आदि हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 03.08.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों का व्यापक उद्योग-वार अनुमानित वितरण (% में)।

क्र. सं.	**एनआईसी-2008 के अनुसार व्यापक उद्योग-वार**	**2021-22**
1	कृषि	45.5
2	खनन एवं उत्खनन	0.3
3	विनिर्माण	11.6
4	बिजली, पानी, आदि.	0.6
5	निर्माण	12.4
6	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	12.1
7	परिवहन, भंडारण एवं संचार	5.6
8	अन्य सेवाएं	11.9
	योग	**100**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1677

(दिनांक 03.08.2023 को उत्तर देने के लिए)

पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

1677. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार, ने बड़ी बीमारियों और दुर्घटनाओं जिसमें गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो जाता है या मृत्यु और स्थायी विकलांगता की स्थिति होती है, के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे पत्रकारों या उनके परिवारों को इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पत्रकार कल्याण योजना लागू किया है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का पत्रकार कल्याण योजनाओं के दायरे में वेब चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में काम करने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के अलावा अन्य लोगों को शामिल करने का कोई दृष्टिकोण और उद्देश्य है; और

(ग) क्या सरकार की देश में कामकाजी पत्रकारों के लिए आवासीय भूखंड या किफायती मकान उपलब्ध कराने और पेंशन योजना शुरू करने की कोई योजना है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): यह मंत्रालय पत्रकारों या उनके परिवारों को मृत्यु, स्थायी विकलांगता, बड़ी बीमारियों के इलाज और दुर्घटनाओं के कारण गंभीर चोटे आने पर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होने जैसी अत्यधिक विषम परिस्थिति के लिए एकमुश्त अनुग्रह राहत प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण स्कीम (जेडब्ल्यूएस) लागू करता है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार इस स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं।

(ग): केंद्र सरकार की विशेष रूप से पत्रकारों को आवासीय भूखंड/किफायती मकान उपलब्ध कराने के लिए कोई स्कीम नहीं है। पत्रकार की पेंशन संबंधित नियोक्ता की नीतियों द्वारा शासित होती है।

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1686

गुरूवार, 03 अगस्त, 2023/12 श्रावण, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थी

1686. श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक एबीआरवाई के लाभार्थियों का क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों में लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत कुल बजटीय आवंटन और आज की तिथि तक एमएसएमई पर खर्च की गई राशि के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के तहत कुल आवंटन में से सरकार द्वारा कुल कितना बजटीय व्यय किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत राज्य-वार (दिल्ली सहित) और सेक्टर-वार लाभार्थियों का विवरण अनुबंध-I और II में दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रतिष्ठान डेटा में अलग से एमएसएमई के लिए कोई चिन्हक नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, इस योजना के तहत 2272.82 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. योजना की शुरूआत से दिनांक 22.07.2023 तक, देश में 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.44 लाख लाभार्थियों को 9,663.82 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

*****

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 03.08.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1686 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या
(दिनांक 22.07.2023 तक)

राज्य का नाम	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36	479	1,16,59,972
आंध्र प्रदेश	4,041	1,66,808	3,06,27,06,758
अरुणाचल प्रदेश	17	514	1,31,03,858
असम	667	19,892	32,47,98,602
बिहार	1,212	28,330	70,07,17,192
चंडीगढ़	1,582	64,791	99,81,27,556
छत्तीसगढ़	2,949	85,083	1,62,16,51,641
दिल्ली	3,145	2,27,523	3,09,55,63,141
गोवा	542	20,942	31,06,55,344
गुजरात	15,561	6,43,596	9,77,59,63,869
हरियाणा	7,636	4,00,201	5,88,66,50,106
हिमाचल प्रदेश	2,161	83,358	1,32,04,77,214
जम्मू और कश्मीर	890	19,378	45,92,55,020
झारखंड	2,246	62,738	1,22,92,51,755
कर्नाटक	10,995	4,86,309	8,26,70,42,803
केरल	2,731	96,295	1,86,32,21,822
लद्दाख	17	190	35,97,672
मध्य प्रदेश	6,248	2,05,712	3,66,15,37,261
महाराष्ट्र	22,438	9,78,329	14,43,65,53,487
मणिपुर	57	1,692	2,64,29,980
मेघालय	39	1,224	4,78,17,163
मिजोरम	15	377	1,52,50,506
नागालैंड	17	234	50,89,856
ओडिशा	4,194	89,296	1,89,75,32,286
पंजाब	6,541	1,70,887	3,39,76,52,658
राजस्थान	11,477	3,26,404	5,45,50,99,769
सिक्किम	113	3,766	7,08,40,320
तमिलनाडु	16,739	8,17,340	11,25,29,19,125
तेलंगाना	5,388	2,82,876	3,82,30,71,739
त्रिपुरा	150	5,440	9,68,47,571
उत्तर प्रदेश	12,405	4,33,246	8,21,36,81,836
उत्तराखंड	2,423	93,478	1,49,07,06,563
पश्चिम बंगाल	7,702	2,27,289	3,80,26,96,748
कुल योग	**152374**	**60,44,017**	**96,63,81,71,193**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 03.08.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1686 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत सैक्टर-वार लाभार्थी (दिनांक 22.07.2023 तक)

उद्योग	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
सोडा वाटर	127	2825	6,38,54,824
अगरबत्ती	119	4713	9,54,39,984
कृषि फार्म	482	9460	29,21,79,905
अपरटाईट खान	1	4	7,382
आर्किटेक्ट्स	109	1665	3,69,78,475
एस्बेस्टोस	13	391	1,05,75,376
एस्बेस्टस सीमेंट चादर	24	1107	1,51,50,116
अभ्रक खान	7	56	21,79,725
अटार्नी	6	141	35,13,666
ऑटोमोबाइल सर्विसिंग	1,860	50430	1,02,81,96,197
बॉल क्ले माइन्स	2	17	9,49,820
राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंक।	228	7631	13,86,82,503
बेराइट्स / डोलोमाइट / फायरक्ले आदि खानें	0	0	
बैराइट्स खान	2	11	4,72,062
बॉक्साइट खान	3	58	10,97,830
बीड़ी उत्पादन	250	19026	8,61,90,473
बीयर एमएफजी	20	711	1,32,49,253
बिस्किट बनाना	240	11956	20,35,11,840
हड्डी का चूरा	14	146	43,08,786
बॉटनिकल गार्डन्स	25	421	97,17,887
ब्रेड	159	6599	10,68,18,472
ईंटें	752	8446	16,37,32,300
ब्रश	26	488	1,36,07,237
भवन और निर्माण उद्योग	8,471	223648	3,52,95,88,946
बटन	11	152	48,46,137
केल्साइट खान	3	89	18,97,973
गन्ने के खेत	4	68	14,50,519
कैंटीन	457	15461	26,24,12,670
इलायची के बागान	4	231	54,72,026
काजू	246	5744	10,23,60,839
मवेशी चारा उद्योग	107	8187	12,98,54,220
सीमेंट	183	3764	7,82,70,149
चार्टर्ड या पंजीकृत एकाउंटेंट	160	2184	6,78,62,868
चीन मिट्टी की खदान	4	58	6,77,054
क्रोमाइट खान	8	**1020**	43,92,804
सिगरेट	7	138	31,96,619
सिनकोना बागान	0	0	
5 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सिनेमा थिएटर	24	112	28,90,027

पूर्वावलोकन थिएटर सहित सिनेमा	70	725	1,44,37,879
कॉफी शोधन	8	180	41,60,608
कॉफी बागान	18	190	54,63,443
कॉयर	68	1278	2,83,40,305
कॉलेज	929	18158	45,45,55,517
जीवन बीमा, वार्षिकी आदि की पेशकश करने वाली कंपनियां।	48	5248	3,40,95,307
प्रदर्शन के लिए कंपनियां/सोसाइटियां/संस्थान/क्लब/मंडलियां	486	11864	25,37,52,800
हलवाई की दुकान	419	18441	32,55,55,104
कोरंडम खान	2	29	11,57,402
लागत - कार्य लेखाकार	43	795	1,92,49,260
कपास की कटाई	361	10099	16,74,23,357
मिट्टी के बरतन	82	1260	3,35,65,268
दाल मिल	103	1557	4,13,71,930
हीरा की कटाई	321	13124	33,59,43,537
हीरे की खान	3	43	7,42,750
डायमंड सॉ मिल्स	8	82	21,13,830
आसवन - स्प्रिट्स की शुद्धि	63	1744	3,43,34,697
फिल्म वितरण	21	305	78,46,728
डोलोमाइट खान	7	130	46,05,248
खाद्य तेल - वसा	350	7855	17,17,69,416
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद	9,968	272750	4,99,04,30,190
इलेक्ट्रिक पोर्सिलेन इंसुलेटर	121	2103	4,10,86,705
बिजली (जी, टी, डी)	467	7800	17,11,27,200
निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां	211	6632	10,98,34,544
पन्ना खान	2	225	13,87,802
इंजीनियर्स – इंजीनियर ठेकेदार	11,186	287747	4,93,99,76,598
निर्माण, मार्केटिंग सर्विसिंग, कंप्यूटर के उपयोग में लगे प्रतिष्ठान	2,126	99995	1,66,38,83,631
निर्माण, रखरखाव, संचालन हेतु रेलवे में लगे प्रतिष्ठान	381	8620	22,44,73,326
सफाई, सफाई सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	2,726	153494	2,36,25,36,907
कूरियर सेवा प्रदान करने में लगे प्रतिष्ठान	127	20559	17,61,62,099
विमान या एयरलाइंस के प्रतिष्ठान	12	176	26,44,650
विशेषज्ञ सेवाएं	38,903	2154648	30,73,32,15,363
विस्फोटक	79	2656	5,87,28,187
फेल्डस्पार खान	5	118	15,87,075
फेरो क्रोम	18	1712	1,57,08,120
फेरो मैंगनीज	22	381	91,21,514
फिल्म प्रक्रिया-प्रयोगशालाएं	17	250	80,35,316
फिल्म निर्माण सबंधी	22	983	1,62,50,031
फिल्म स्टूडियो	12	101	32,25,731
वित्तीय प्रतिष्ठान	860	149366	1,87,94,92,831
फायर वर्क्स	147	2094	2,58,96,140
फायरक्ले खान	2	167	57,29,550
मछली प्रक्रिया और मांसाहारी खाद्य संरक्षण	186	16587	29,05,37,025
फ्लेवराइट खान	3	420	90,54,737
आटा मिल	311	4985	11,72,08,327
अग्रेषण अभिकरण	249	7965	15,48,64,399

फलों के बगान	13	420	78,57,418
फल – संरक्षण सब्जी	339	8940	20,33,72,594
गारमेंट्स बनाना	2,333	275074	3,13,40,17,397
गौर गम की फैक्ट्रियां	14	223	57,14,360
सामान्य बीमा	24	7276	3,64,04,000
काँच	240	7359	16,37,84,382
ग्लू और जिलेटिन फैक्ट्रियां	6	56	7,71,883
सोने की खदान	41	672	2,08,88,932
ग्रेफाइट खान	3	41	14,48,850
जिप्सम खान	6	44	9,82,748
भारी - बढ़िया रसायन	1,907	54386	1,09,47,26,397
अस्पताल	4,719	141523	3,02,27,19,115
होटल	2,633	51164	1,12,11,32,050
बर्फ या आइसक्रीम	67	1372	3,52,08,072
इंडिगो	8	1518	1,54,97,003
आईएनडीएल - पावर अल्कोहल	11	290	78,38,151
इंडोलियम	31	907	1,61,09,572
अंतर्देशीय जल परिवहन	23	602	1,40,34,631
लोहा और इस्पात	2,225	60791	1,21,06,82,170
लौह अयस्क खान	26	778	2,34,19,253
लौह अयस्क छर्रे	41	1060	2,00,80,214
जूट	38	1948	3,00,32,346
जूट बेलना	10	178	43,98,211
कत्था बनाना	15	266	74,48,518
ज्ञान या प्रशिक्षण संस्थान	375	10544	24,39,24,132
कायनाइट खान	2	20	5,14,480
एलएसी / शैलैक	8	78	21,59,823
लॉन्ड्री - लॉन्ड्री सेवाएं	48	1494	2,89,50,383
चर्म उत्पाद	847	52361	95,52,30,931
लिग्नाइट खान	4	202	32,57,769
चूना पत्थर की खदान	35	681	1,75,31,388
लिनोलियम	1	19	4,95,704
लॉजिंग हाउस, सर्विस अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम	164	7096	12,35,49,697
मैग्नेसाइट खान	7	198	49,45,992
मैंगनीज खान	7	65	13,63,079
मार्बल माइन्स	25	429	1,34,15,719
माचिस	74	1173	90,85,818
मैडिकल चिकित्सक	508	12106	27,17,76,176
भोजनालय	32	548	1,17,17,666
अभ्रक खान	6	82	23,56,014
अभ्रक खान - अभ्रक उद्योग	24	793	1,34,24,303
दूध उत्पाद	495	12528	31,59,87,906
खनिज तेल शोधन	45	461	1,34,30,606
मिश्रित वृक्षारोपण	33	465	1,26,15,317
नगर परिषद/निगम	127	4404	9,20,94,566
मायरोबलन - वनस्पति टेनिंग	7	156	40,62,533
समाचार पत्र प्रतिष्ठान	102	1009	3,19,51,738
खाद्य तेल / वसा	67	1934	4,40,79,474
अलौह धातु और मिश्र धातु	381	19602	27,92,28,570

गेरू खान	9	705	81,18,797
अन्य	7,911	208342	3,80,68,36,599
पेंट्स - वार्निश	295	11583	13,19,95,032
कागज़	282	7381	12,60,80,899
कागज उत्पादन	939	19371	41,10,57,372
काली मिर्च के पौधे	3	29	9,15,708
पेट्रोलियम / प्राकृतिक गैस उत्पादन	266	2576	6,93,25,588
पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस रिफाइनिंग	262	2664	8,50,94,837
पिकर	36	1174	1,88,58,172
प्लास्टिक उत्पाद	2,296	79824	1,38,60,47,328
प्लाईवुड	534	12246	24,40,36,225
मुर्गी पालन	155	15865	24,00,73,243
मुद्रण	774	14777	32,88,42,654
निजी हवाई अड्डे और संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे	1	13	1,50,174
लकड़ी का प्रसंस्करण और उपचार	67	1951	3,18,69,873
क्वार्टसाइट खान	2	8	1,75,344
क्वार्ट्ज खान	10	3090	2,94,07,099
रेलवे बुकिंग एजेंसियां	3	17	2,64,510
रीफ्रैक्टरीज	112	4755	7,01,27,072
शोध संस्था	84	2823	5,25,48,379
रेस्टोरेंट	1,500	42530	78,44,36,291
राइस मिल	1,332	9478	31,09,14,710
सड़क मोटर परिवहन	1,081	38004	76,56,01,187
रबर बागान	14	513	73,88,337
रबर उत्पाद	695	38769	50,58,18,483
नमक	51	620	1,31,66,401
सेनेटरी वेयर	134	3155	6,04,59,866
सॉ मिल्स	58	963	2,41,90,272
विद्यालय	4,963	63422	1,62,09,63,016
वैज्ञानिक संस्थान	51	894	1,81,97,585
सिलिका (रेत) खान	16	194	34,31,587
सिलीमिनाईट खान	5	92	30,90,577
सोप स्टोन खदान	28	776	1,48,05,235
सोसायटी / क्लब / संघ	190	3797	10,74,91,377
सोसायटी क्लब या संघ	1,105	21674	48,77,92,653
कॉटन वेस्ट की छंटाई / सफाई / टीजिंग	42	1760	2,64,73,986
स्टार्च	28	980	2,47,60,327
स्टेशनरी उत्पाद	104	2296	4,73,19,017
स्टीटाइट खान	11	135	24,50,560
पौधारोपन तम्बाकू के पत्तों को फिर से सुखाना	2	24	3,96,664
स्टीवडोरिंग, लोडिंग-अनलोडिंग जहाज	77	4925	7,17,58,323
चिप्स बनाने वालों आदि के लिए पत्थर की खदान	100	1273	3,63,91,808
रूफ-फ्लोर स्लैब आदि के लिए पत्थर की खदान	107	1719	4,38,92,808
पत्थर के जार	15	356	1,13,14,149
स्टोनवेयर पाइप्स	45	567	1,34,27,500
पेट्रोल/प्राकृतिक गैस का भंडारण, परिवहन या वितरण	637	7225	20,93,14,324
चीनी	134	7522	14,28,27,917
चाय	122	4764	6,03,18,897
चाय उगाना	59	2839	3,56,64,820

टेंट बनाना	25	574	1,66,68,740
कपड़ा	6,507	467190	5,96,02,19,489
ड्रामेटिक प्रदर्शन वाले थिएटर	14	435	1,03,34,230
टाइल्स	195	3481	7,02,45,074
तंबाकू उद्योग	66	1524	3,21,85,311
व्यापार - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	11,522	424885	7,44,97,05,950
ट्रैवल एजेंसी	526	11366	28,01,63,188
विश्वविद्यालय	152	4005	11,17,45,541
विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, आदि	2,241	29769	73,31,54,694
वाइंडिंग थ्रेड यार्न रीलिंग	86	7514	9,18,78,738
लकड़ी संरक्षण संयंत्र	10	174	65,11,608
लकड़ी मसाला भट्टियां	9	3225	4,17,17,994
लकड़ी की कार्यशाला	334	10943	20,03,96,997
प्राणि उद्यान	12	337	33,72,658
कुल योग	**1,52,374**	**60,44,017**	**96,63,81,71,193**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1690

गुरूवार, 03 अगस्त, 2023 / 12 श्रावण, 1945 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन

1690. डा. राधा मोहन दास अग्रवालः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशनभोगियों की संख्या के साथ वर्ष के अंत में नियोक्ता और सरकार के अंशदान, ब्याज से प्राप्त आय और निवेशित आय और समग्र निधि में हर साल जमा की गई आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के तहत हर साल सेवानिवृत्त कर्मियों और विभिन्न प्रकार के आश्रितों को पेंशन के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है; और

(ग) यदि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये को बढ़ाकर 5000 रुपये, 6000 रुपये अथवा 7000 रुपये कर दिया जाए तो कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत नियोक्ता और सरकारी अंशदान, हर साल जमा किए गए ब्याज और निधि से प्राप्त आय और वित्तीय वर्ष के अंत में निवेश और कायिक निधि का विवरण निम्नानुसार है:

पेंशन निधि प्राप्तियां और कायिक निधि (करोड़ रूपये में)					
वर्ष	**अंशदान (नियोक्ता का हिस्सा)**	**अंशदान (सरकार का हिस्सा)**	**वर्ष के दौरान प्राप्त कुल योगदान**	**ब्याज और फंड से प्राप्त आय हर साल जमा की जाती है और निवेश किया जाता है****	**वित्तीय वर्ष के अंत में कायिक निधि**
2019-20	44,448.55	7,504.59	51,953.14	39,042.05	5,30,846.39
2020-21	44,009.53	6,552.48	50,562.01	41,472.14	6,02,319.81
2021-22	49,719.98	7,806.20	57,526.18	50,613.95	6,89,210.72
2022-23*	56,170.84	8,714.76	64.885.60	51,985.82	7,80,308.93

*अनंतिम आंकड़े

** वर्ष के दौरान योजना में निवेश का घटक

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान पेंशनभोगियों की संख्या संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**पेंशनभोगियों की संख्या**
2019-20	6682717
2020-21	6919823
2021-22	7273898
2022-23	7558913

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मियों और विभिन्न आश्रितों को पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
2019-20	11559.62
2020-21	12172.56
2021-22	12933.12
2022-23	14444.60

ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1794

04 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी करना

1794 श्री इलामारम करीम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि श्रमिकों की वर्तमान औसत दैनिक आय क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों की कार्य स्थितियों और मजदूरी में सुधार के लिए कोई कदम उठाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी हो गई है, यदि हां, तो क्या सरकार के पास इसे साबित करने के लिए कोई आंकड़े हैं; और

(घ) किसानों की आय दोगुनी करने का वादे के कब तक पूरा होने की उम्मीद है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): किसानों की आय का अनुमान एनएसएसओ द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। 2012-13 में आयोजित स्थिति आंकलन सर्वेक्षण के अनुसार कृषि परिवार की मासिक आय रू. 6426/- अनुमानित थी जो 2018-19 में आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार रू. 10218/- तक बढ़ गई है।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकार, राज्य में कृषि विकास और किसानों के कल्याण के लिए उचित उपाय करती हैं। तथापि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों तथा बजटीय सहायता और विविध योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है।

भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कृषि के समूचे परिदृश्य को शामिल करते हुए समय-समय पर केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित विविध योजनाओं का शुभारंभ किया है। सरकार ने ''किसानों की आय को दोगुनी करने (डीएफआई)'' संबंधी मुद्दों की जांच करने और इसके लिए कार्यनीतियों का सुझाव देने के लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितंबर, 2018 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय को देगुना करने हेतु कार्यनीति शामिल हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समिति ने आय वृद्धि के निम्नलिखित सात स्रोतों की पहचान की:-

(i) फसल उत्पादकता में वृद्धि

(ii) पशुधन उत्पादकता में वृद्धि

(iii) संसाधन उपयोग दक्षता - उत्पादन लागत में कमी

(iv) फसल सघनता में वृद्धि

(v) उच्च मूल्य कृषि के लिए विविधीकरण

(vi) किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य

(vii) अधिशेष श्रमशक्ति का कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में अंतरण

कार्यनीति के अनुसार, सरकार ने किसानों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उच्च आय प्राप्ति हेतु विभिन्न नीतियों, सुधारों, विकासपरक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया। सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए बजटीय प्रावधान में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
3. कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण
4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर निर्धारित करना
5. देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन
6. पर ड्रॉप मोर क्रॉप
7. सूक्ष्म सिंचाई निधि
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का विकास
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
10. कृषि मशीनीकरण
11. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना
12. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) विस्तार प्लेटफार्म का गठन
13. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पॉम का शुभारंभ
14. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
15. फार्म उत्पाद लॉजिस्टिक्स में सुधार, किसान रेल का शुभारंभ
16. एमआईडीएच – क्लस्टर विकास कार्यक्रम
17. कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम का सृजन
18. कृषि तथा संबद्ध कृषि-उत्पादों के निर्यात में उपलब्धता

इन योजनाओं के कार्यान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक किताब जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानी का संकलन है जिन्होंने अपनी आय को दोगुने से अधिक बढ़ाया है।

*****

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित संख्या 2618

दिनांक 4 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण

2618. डॉ. आलोक कुमार सुमन :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीण महिलाएं, कामकाजी महिलाएं और लड़कियां अल्पपोषित/कुपोषित हैं और आयरन की कमी से पीड़ित हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कामकाजी महिलाएं विभिन्न प्रकार के तनाव से पीड़ित हैं जिससे उनका जीवन अल्पपोषण की ओर अग्रसर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या देश में कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सभी सुविधाएं मिल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) तथा (ख) देश में बच्चों, लड़कियों और महिलाओं में कुपोषण और रक्ताल्पता की संख्या का अनुमान लगाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी आवधिक सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के रूप में जाना जाता है। एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में अल्प वजन (बीएमआई 18.5 किग्रा/वर्ग मीटर से कम) की व्यापता क्रमशः 13.2% और 21.2% है और किशोरियों में (15-19 वर्ष) में 39.7% है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में रक्ताल्पता की व्यापता क्रमशः 53.8% और 58.5% है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों में क्रमशः 56.5% और 60.2% है।

(ग) तथा (घ) दीर्घकालीन तनाव होमियोस्टैसिस को बाधित करता है जो मानसिक विकारों जैसी कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और बीमारी के साथ-साथ आयु से संबंधित बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा सकता है। हालाँकि, महिलाओं में अल्प पोषण का एकमात्र कारण तनाव नहीं है। अल्पपोषण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो मुख्य रूप से अपर्याप्त भोजन के सेवन, असमान भोजन वितरण, मातृ शिशु और बच्चे को अनुचित भोजन, असमानता और लिंग असंतुलन, खराब स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थितियों इत्यादि सहित कई सामान्य कारकों से प्रभावित होता है।

(ड़) सरकार कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबंधन और देश में सभी कामकाजी महिला के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के उपाय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उद्देश्यों को ऐसे विभिन्न श्रम विधियों के अधिनियमन और कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है जो महिलाओं सहित श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करते हैं। तदनुसार, भारत सरकार ने विभिन्न विधियाँ पारित की हैं। महिला कार्यबल के लिए विशेष प्रावधानों वाले विधानों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध अधिनियम, 2013, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और कारखाना अ धिनियम, 1948 आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना मिशन शक्ति आरम्भ की है। इस योजना के दिशानिर्देश 01.04.2022 से प्रभावी हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती डे-केयर सुविधाएं प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति के तहत पालना घटक को शामिल किया गया है। 31.05.2023 तक देश भर में कार्यरत शिशुगृहों की संख्या 2688 है और लाभार्थियों की संख्या 57128 है।

मिशन शक्ति के तहत, कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) जिसे सखी निवास के नाम से जाना जाता है, एक मांग संचालित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को प्रत्यक्ष निधि जारी की जाती है। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अन्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

****

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 244

सोमवार, 7 अगस्त, 2023/ 16 श्रावण, 1945 (शक)

ईपीएफ तथा ईएसआई में सुधार

244. **श्रीमती रमा देवी:**
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के बेहतर भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में सुधार लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में अब तक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत राज्य-वार कितने कामगारों को शामिल किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेंद्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

*****

"ईपीएफ तथा ईएसआई में सुधार" के संबंध में श्रीमती रमा देवी और श्रीमती लॉकेट चटर्जी, माननीय सांसदों द्वारा दिनांक 07.08.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 उन कारखानों और प्रतिष्ठानों के अधिसूचित वर्गों पर लागू होता है, जिनमें 15,000/- रुपये प्रति माह तक मासिक ईपीएफ वेतन वाले बीस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 संगठित क्षेत्र के उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिनमें 21000/- रुपये (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) तक का वेतन पाने वाले दस या अधिक काम करने वाले व्यक्ति नियोजित होते हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संहिता) जिसे दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित कामगारों के लिए योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, संहिता पहली बार दस से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान को स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी में शामिल होने के लिए सक्षम बनाती है। कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित संहिता के प्रावधान वैसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं जिसमें अनुसूचित प्रतिष्ठानों का संदर्भ लिए बगैर 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

सरकार ने, असंगठित कामगारों के पंजीकरण और एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया है। 13 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-2023 में ईपीएफ में अंशदान करने वाले 6.85 करोड़ सदस्य हैं [सार्वभौम खाता संख्या- (यूएएन) में जिन्होंने कम से कम एक बार अंशदान किया है)], जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कामगारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध-I

"ईपीएफ तथा ईएसआई में सुधार" के संबंध में श्रीमती रमा देवी और श्रीमती लॉकेट चटर्जी, माननीय सांसदों द्वारा दिनांक 07.08.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किए गए असंगठित कामगार		
क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल पंजीकरण (13 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29,109
2	आंध्र प्रदेश	79,93,131
3	अरुणाचल प्रदेश	1,42,395
4	असम	69,77,606
5	बिहार	2,86,28,531
6	चंडीगढ़	1,74,548
7	छत्तीसगढ	83,20,247
8	दिल्ली	32,63,970
9	गोवा	63,122
10	गुजरात	1,13,34,388
11	हरियाणा	52,70,537
12	हिमाचल प्रदेश	19,29,421
13	जम्मू और कश्मीर	34,02,936
14	झारखंड	92,04,463
15	कर्नाटक	76,23,738
16	केरल	59,11,220
17	लद्दाख	30,854
18	लक्षद्वीप	2,455
19	मध्य प्रदेश	1,71,21,425
20	महाराष्ट्र	1,36,80,517
21	मणिपुर	4,06,779
22	मेघालय	3,01,257
23	मिजोरम	58,614
24	नागालैंड	2,19,942
25	ओडिशा	1,33,42,365
26	पुदुचेरी	1,78,944
27	पंजाब	55,06,500
28	राजस्थान	1,29,57,097
29	सिक्किम	30,673
30	तमिलनाडु	84,70,282
31	तेलंगाना	42,06,937
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	73,256
33	त्रिपुरा	8,51,823
34	उत्तर प्रदेश	8,30,59,043
35	उत्तराखंड	29,79,437
36	पश्चिम बंगाल	2,58,52,865
	कुल	**28,96,00,427**

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध-II

"ईपीएफ तथा ईएसआई में सुधार" के संबंध में श्रीमती रमा देवी और श्रीमती लॉकेट चटर्जी, माननीय सांसदों द्वारा दिनांक 07.08.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में न्यूनतम एक बार अंशदान करने वाले यूएएन का विवरण		
क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अंशदान करने वाले सदस्य
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21,275
2	आंध्र प्रदेश	16,24,653
3	अरुणाचल प्रदेश	11,587
4	असम	3,65,918
5	बिहार	11,77,221
6	चंडीगढ़	6,38,985
7	छत्तीसगढ	7,05,116
8	दिल्ली	43,77,977
9	गोवा	2,67,715
10	गुजरात	48,11,660
11	हरियाणा	39,94,141
12	हिमाचल प्रदेश	4,80,080
13	जम्मू और कश्मीर	2,05,187
14	झारखंड	7,20,917
15	कर्नाटक	84,22,436
16	केरल	13,69,726
17	लद्दाख	2,384
18	मध्य प्रदेश	15,72,984
19	महाराष्ट्र	1,43,39,441
20	मणिपुर	18,084
21	मेघालय	43,008
22	मिजोरम	4,465
23	नागालैंड	11,713
24	ओडिशा	11,26,899
25	पंजाब	9,39,714
26	राजस्थान	18,83,766
27	सिक्किम	33,445
28	तमिलनाडु	73,92,661
29	तेलंगाना	42,35,110
30	त्रिपुरा	33,639
31	उत्तर प्रदेश	34,51,727
32	उत्तराखंड	8,23,450
33	पश्चिम बंगाल	34,38,663
कुलयोग		**6,85,45,747**

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध-III

"ईपीएफ तथा ईएसआई में सुधार" के संबंध में श्रीमती रमा देवी और श्रीमती लॉकेट चटर्जी, माननीय सांसदों द्वारा दिनांक 07.08.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ईएसआई योजना के अंतर्गत कवरेज		
क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बीमित व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	1217420
2	असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	300020
3	बिहार	358980
4	चंडीगढ़	130200
5	छत्तीसगढ	506750
6	दिल्ली	1328320
7	गोवा	172650
8	गुजरात	1568900
9	हरियाणा	2319520
10	हिमाचल प्रदेश	346160
11	जम्मू और कश्मीर	122960
12	झारखंड	425620
13	कर्नाटक	2963220
14	केरल	945260
15	मध्य प्रदेश	967000
16	महाराष्ट्र	3990490
17	ओडिशा	741560
18	पुदुचेरी	104520
19	पंजाब	1216430
20	राजस्थान	1336380
21	सिक्किम	28340
22	तमिलनाडु एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3560310
23	तेलंगाना	1564130
24	उत्तर प्रदेश	2365560
25	उत्तराखंड	604560
26	पश्चिम बंगाल	1835310
	कुल	**31020570**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2808

सोमवार, 7 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक)

महिलाओं के लिये लचीले कामकाजी घंटे

2808. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए लचीले कामकाजी घंटों की आवश्यकता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार महिलाओं के लिए लचीले कामकाजी घंटे की योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) प्रधानमंत्री के विजन के अनुपालन में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सरकार ने महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने हेतु कई कदम उठाए हैं। वर्तमान श्रम कानूनों में सभी अन्य अधिकारों के अतिरिक्त, महिला कामगारों के संबंध में विशिष्ट उपबंध किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में यह उपबंध किया गया है कि किसी प्रतिष्ठान अथवा उसकी किसी इकाई में उसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के संबंध में मजदूरी के मामलों में लिंग के आधार पर अपने कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए भर्ती करते समय, या भर्ती के बाद पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण जैसी किसी भी सेवा शर्त में महिलाओं के प्रति भेदभाव की रोकथाम भी करता है।

(ii) वर्ष 2017 में यथासंशोधित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में दो जीवित बच्चों के लिए 12 से 26 सप्ताह तक सवेतन मातृत्व अवकाश का उपबंध है। इसमें महिला द्वारा प्रसूति लाभ लिए जाने के बाद "घर से काम" का उपबंध भी किया गया है जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन है।

जारी...2/-

(iii) खान अधिनियम 1952 के तहत सरकार ने ओपनकास्ट कार्यों सहित जमीन से ऊपर के खदानों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य जहां निरंतर उपस्थिति अपेक्षित न हो, में महिलाओं के नियोजन की अनुमति दी।

सरकार ने चार श्रम संहिताएं नामत: मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 का अधिनियमन किया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कई उपबंधों के माध्यम से मर्यादित तरीकों से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) मजदूरी, भर्ती से संबंधित मामलों और रोजगार की शर्तों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
(ii) महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में उनकी सहमति और अन्य समुचित सुरक्षोपायों के अध्यधीन 6.00 बजे सुबह से पहले और 7.00 बजे सांय के बाद भी नियोजित किए जाने की हकदार हैं।

*****

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2856

सोमवार, 07 अगस्त, 2023/ 16 श्रावण, 1945 (शक)

गिग कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर जोड़ी गई सुविधाएं

2856. डा. अजय कुमार मंडल:
डा.एम.के.विष्णु प्रसाद:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्री टी.आर.वी.एस.रमेश:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्री सुनील कुमार पिन्टू:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **श्रम और रोजगार** राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थव्यवस्था में गिग कामगारों के लिए कवरेज और उनकी सहायता में सुधार लाने के लिए ई-श्रम पोर्टल में कौन-कौन सी विशिष्ट कार्यक्षमताएं अथवा सेवाएं जोड़ी गई हैं;

(ख) उक्त पोर्टल पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त अस्थायी कामगारों (गिग वर्कर्स) की संख्या कितनी है और उन्हें दी गई पहचान अथवा प्रदान किए गए लाभों का वर्ष/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-श्रम पोर्टल की नई जोड़ी गई विशेषताओं से उक्त अस्थायी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य कल्याणकारी उपायों का लाभ किस प्रकार मिलने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सरकार ने गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण और व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल आरम्भ किया है। इसमें कोई व्यक्ति स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकता है,जिसका विस्तार लगभग 400 व्यवसायों तक है। प्लेटफॉर्म कामगारों के कवरेज में सुधार के लिए सितंबर, 2022 में ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक नया मॉड्यूल प्रारम्भ किया गया था और तब से 45,000 से अधिक प्लेटफॉर्म कामगारों ने इस मॉड्यूल के माध्यम से प्लेटफॉर्म कामगारों के रूप में ई-श्रम पोर्टल पर अपनी प्रोफ़ाइल को पंजीकृत/अद्यतन किया है। ई-श्रम पोर्टल पर गिग कामगारों का डेटा अलग से कैप्चर नहीं किया जाता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या अनुबंध में संलग्न है।

ई-श्रम पोर्टल पर विकसित नई विशेषताएं और ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को दिए जाने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:

(i) प्रवासी कामगारों के परिवार के ब्यौरे लेने के लिए ई-श्रम में प्रावधान किया गया है। ई-श्रम में सन्निर्माण कामगारों के डेटा को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने का प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि संबंधित भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) बोर्डों में उनके पंजीकरण को सुसाध्य बनाया जा सके।

(ii) ई-श्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। गिग और प्लेटफॉर्म कामगार सहित कोई असंगठित कामगार अपने सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी/रोजगार के अवसरों की तलाश कर सकता है। एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले को एक विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।

(iii) ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के साथ भी एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। सार्वभौम खाता संख्या (ई-श्रम) का उपयोग करके, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर सहित कोई भी असंगठित कामगार आसानी से मानधन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है।

(iv) गिग एवं प्लेटफार्म कामगार सहित असंगठित कामगारों को कौशल संवर्धन और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए ई-श्रम को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

(v) एनसीएस पर पंजीकृत ई-श्रम पंजीकरणकर्ता डिजीसक्षम कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 उन कारखानों और प्रतिष्ठानों के अधिसूचित वर्गों पर लागू होता है जिनमें 15,000/- रुपये प्रति माह तक मासिक ईपीएफ वेतन प्राप्त करने वाले बीस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 संगठित क्षेत्र के उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिनमें 21000/- रुपये (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) तक का वेतन पाने वाले दस या अधिक काम करने वाले व्यक्ति नियोजित होते हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संहिता) को दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, संहिता में पहली बार दस से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान को स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी में शामिल होने के लिए समर्थ बनाया गया है। संहिता के कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित उपबंध वैसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं, जिसमें अनुसूचित प्रतिष्ठानों का संदर्भ लिए बगैर 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

तथापि, उक्त संहिता अभी लागू नहीं हुई है।

******

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध

'गिग कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर जोड़ी गई सुविधाएं' के संबंध में डा. अजय कुमार मंडल एवं अन्य द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2856 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ई-श्रम पोर्टल पर (1 अगस्त, 2023 की स्थिति के अनुसार) पंजीकृत असंगठित कामगारों का वर्ष-वार तथा राज्य-वार पंजीकरण संबंधी विवरण

क्र.सं.	राज्य	26 अगस्त, 2021 से 31 दिसम्बर,2021 तक	1 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक	1 जनवरी, 2023 से 16 जुलाई, 2023 तक	कुल पंजीकरण
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17,454	10,956	924	29,334
2	आंध्र प्रदेश	25,41,698	53,35,941	1,24,908	80,02,547
3	अरुणाचल प्रदेश	44,538	95,503	2,496	1,42,537
4	असम	48,95,082	19,97,909	98,177	69,91,168
5	बिहार	1,59,10,723	1,26,20,982	1,10,459	2,86,42,164
6	चंडीगढ़	1,03,014	70,903	690	1,74,607
7	छत्तीसगढ	54,88,705	27,53,532	85,361	83,27,598
8	दिल्ली	17,07,959	15,40,372	20,754	32,69,085
9	गोवा	9,596	42,067	11,929	63,592
10	गुजरात	33,30,033	57,77,440	22,49,187	1,13,56,660
11	हरियाणा	26,71,226	25,73,204	27,783	52,72,213
12	हिमाचल प्रदेश	8,02,789	11,19,032	9,749	19,31,570
13	जम्मू और कश्मीर	18,24,466	15,30,344	50,710	34,05,520
14	झारखंड	65,83,499	25,36,185	92,180	92,11,864
15	कर्नाटक	23,33,489	49,79,681	3,38,368	76,51,538
16	केरल	47,79,183	11,23,037	10,918	59,13,138
17	लद्दाख	5,021	23,367	2,493	30,881
18	लक्षद्वीप	139	2,272	44	2,455
19	मध्य प्रदेश	46,17,866	1,22,07,309	3,56,882	1,71,82,057
20	महाराष्ट्र	37,04,814	96,80,079	3,16,583	1,37,01,476
21	मणिपुर	3,37,559	66,526	2,731	4,06,816
22	मेघालय	1,19,733	1,63,798	19,863	3,03,394
23	मिजोरम	8,295	49,794	677	58,766
24	नागालैंड	1,84,114	34,295	1,658	2,20,067
25	ओडिशा	1,27,10,807	6,09,207	24,062	1,33,44,076
26	पुदुचेरी	1,04,400	71,853	4,124	1,80,377
27	पंजाब	46,92,847	8,00,802	16,719	55,10,368
28	राजस्थान	37,83,038	89,65,225	2,57,156	1,30,05,419
29	सिक्किम	4,723	18,387	7,967	31,077
30	तमिलनाडु	45,40,772	37,71,143	1,72,174	84,84,089
31	तेलंगाना	18,83,007	21,45,931	1,88,299	42,17,237
32	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	38,141	34,658	469	73,268
33	त्रिपुरा	7,02,850	1,40,524	9,539	8,52,913
34	उत्तर प्रदेश	6,29,53,396	2,00,34,677	75,908	8,30,63,981
35	उत्तराखंड	9,14,731	20,55,772	10,339	29,80,842
36	पश्चिम बंगाल	2,34,23,888	23,18,734	1,48,795	2,58,91,417
	कुल	**17,77,73,595**	**10,73,01,441**	**48,51,075**	**28,99,26,111**

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2873

(जिसका उत्तर सोमवार 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए राहत पैकेज

2873. श्री दीपक बैज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 वैश्विक महामारी के विरूद्ध लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए घोषित किए गए राहत पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) आर्थिक राहत पैकेज के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्हें कोविड महामारी के दौरान आर्थिक राहत पैकेज के अंतर्गत धनराशि प्रदान की गई थी और इन राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इनके द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) और **(ख)** सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता करने हेतु दिनांक 28.06.2021 को 6,28,993 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। पैकेज का ब्यौरा **अनुबंध-I में दिया गया है।** घोषित राहत पैकेज के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की स्थिति **अनुबंध-II में दी गई है।**

(ग) दिनांक 28.06.2021 को घोषित आर्थिक राहत पैकेज के अंतर्गत निधि का राज्यवार आवंटन नहीं किया गया था।

******

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध-I

7 अगस्त 2023 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या. 2873 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

1. आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये
2. सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना
3. 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटकों/गाइडों/यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता
4. प्रथम 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का निःशुल्क पर्यटक वीजा
5. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का दिनांक 31 मार्च 2022 तक विस्तार
6. डीएपी और पीएंडके उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी
7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार - मई से नवंबर, 2021 तक निःशुल्क अनाज
8. बच्चों और शिशु चिकित्सा देखभाल/ शिशु चिकित्सा बेड पर जोर देने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि
9. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना
10. कुपोषण से लड़ना और किसानों की आय में सुधार: जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित विशेष लक्षण वाली किस्मों को जारी करना
11. 77.45 करोड़ रुपये के पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरुद्धार
12. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
13. निर्यात बीमा को शामिल करने के लिए 88,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
14. भारतनेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रुपये
15. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना की अवधि 2025-26 तक बढ़ाई गई
16. सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी विद्युत वितरण योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये
17. पीपीपी परियोजनाओं और आस्ति मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया

*****

अनुबंध-II

	घोषणा	**स्थिति**
1.	आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये (ईसीएलजीएस)	मंत्रिमंडल ने दिनांक 30.06.2021 को स्वीकार्य गारंटी की समग्र सीमा को 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह योजना 31.03.2023 तक वैध थी। योजना का संचालन करने वाली एजेंसी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28.07.2023 तक ईसीएलजीएस के तहत 3.68 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी की गई है, जिससे 1.19 करोड़ उधारकर्ता लाभान्वित हुए हैं।
2.	सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना	इस योजना को दिनांक 14.07.2021 को मंजूरी दी गई थी। एनसीजीटीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 23.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये की राशि के ऋण की गारंटी दी गई है। सदस्य ऋण दात्री संस्थाओं द्वारा एमएफआई/एनबीएफसी-एमएफआई को 9,765.04 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है। एमएफआई/एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा 24.28 लाख छोटे उधारकर्ताओं को 9,478.89 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं। यह योजना 31.03.2022 तक वैध थी।

	घोषणा	स्थिति
3.	11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइड/यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता	पर्यटन मंत्रालय कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना चला रहा है। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पंजीकृत पर्यटक गाइडों (पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित) और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित यात्रा और पर्यटन हितधारकों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करती है, ताकि वे देनदारियों का निर्वहन कर सकें और कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें। यात्रा और पर्यटन हितधारकों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और पंजीकृत पर्यटक गाइडों के लिए 1.00 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। प्रदान की गई गारंटी कवर सभी मामलों में 100% होगी। उक्त योजना की वैधता 31.03.2023 तक या योजना के अंतर्गत 250.00 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, थी। दिनांक 24.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार 460 व्यक्तियों/एजेंसियों के पक्ष में कुल 6.59 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और 3.72 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।
4.	प्रथम 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का निःशुल्क पर्यटक वीजा	भारत सरकार ने चार्टर्ड फ्लाइट के माध्यम से भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों के समूह के लिए दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 से और 15 नवंबर 2021 से सभी पर्यटकों के लिए ई-पर्यटक/नियमित पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया था। दिनांक 31.3.2022 तक, ई-वीजा और नियमित वीजा योजनाओं के अंतर्गत कुल 334166 निःशुल्क पर्यटक वीजा जारी किए गए थे। यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2022 को बंद कर दी गई।
5.	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का दिनांक 31.3.2022 तक विस्तार	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) योजना का कार्यक्रम अर्थात इस योजना के अंतर्गत नए कर्मचारियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 30.06.2021 को आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के अनुमोदन से 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।
6.	डीएपी और पीएंडके उर्वरक के लिए 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी	पी एंड के उर्वरकों के संबंध में सब्सिडी भुगतान के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का उपयोग किया गया है।
7.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का मई से नवंबर 2021 तक विस्तार	इस योजना को मई से नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
8.	बच्चों और शिशु चिकित्सा देखभाल/ शिशु चिकित्सा बेड पर जोर देने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि।	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज": चरण II (ईसीआरपी-II) के लिए 23,123 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी 15,000 करोड़ रुपये और राज्य की हिस्सेदारी 8,123 करोड़ रुपये) की राशि जुलाई 2021 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक ईसीआरपी-II पैकेज के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 14,248.81 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में) जारी किए गए थे। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधि के पूर्ण उपयोग की समयसीमा दिनांक 31.12.2023 तक बढ़ा दी गई थी।
9.	कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना	कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना को मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 30.06.2021 को मंजूरी दी गई थी। योजना की वैधता 31.3.2023 तक बढ़ा दी गई थी। एनसीजीटीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 23.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 15,432.37 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

	घोषणा	स्थिति
10.	कुपोषण से लड़ना और किसानों की आय में सुधार: जलवायु अनुकूल विशेष लक्षण वाली किस्मों को जारी करना	जुलाई 2021 से, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने जारी और अधिसूचित किया है: (क) क्षेत्रीय फसलों की 556 किस्में जिनमें अनाज, तिलहन, दलहन, चारा फसलें, रेशे वाली फसलें और गन्ने की फसलें शामिल हैं। (ख) गेहूं, चावल, मक्का, पर्ल मिलेट, सोयाबीन और सरसों की 30 बायोफोर्टिफाइड किस्में भी जारी की गई हैं। (ग) 372 जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित किस्मों में अनाज, तिलहन, दलहन, रेशे वाली फसलें, चारा फसलें, गन्ने की फसलें और छह अन्य फसलें शामिल हैं जिनमें एक या दूसरे जैविक और अजैविक महत्व के लिए जलवायु अनुकूल गुण हैं।
11.	77.45 करोड़ रुपये के पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरुद्धार	आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 18.08.2021 को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपये (निधि आधारित समर्थन के लिए 17 करोड़ रुपये और निधि-भिन्न आधारित समर्थन के लिए 60.45 करोड़ रुपये) के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 27 मार्च, 2023 तक 98.50 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया।
12.	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन	आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 29 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 21-22 से 25-26 की अवधि के दौरान एनईआईए में 1,650 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। सीसीईए के अनुमोदन के मद्देनजर, वर्ष 2022-23 के दौरान एनईआईए न्यास को 744 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
13.	निर्यात बीमा के लिए 88,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन	आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 29 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 21-22 से 25-26 की अवधि के दौरान ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी थी, जो ईसीजीसी लिमिटेड की सूचीबद्धता और उसके बाद बाजार से निधि जुटाने की व्यवहार्यता के अध्यधीन है। सीसीईए की मंजूरी के मद्देनजर 2021-2022 के दौरान ईसीजीसी को 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान, ईसीजीसी ने 18,187 पॉलिसियाँ जारी की हैं और ईसीजीसी द्वारा समर्थित निर्यात का मूल्य 3,89,493 करोड़ रुपये है।
14.	भारतनेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड के लिए 19041 करोड़ रुपये	सीसीईए ने दिनांक 30.06.2021 को परियोजना को मंजूरी दे दी थी। लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से 1,96,680 ग्राम पंचायतों को 20.03.2023 तक सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।
15.	बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना की अवधि का विस्तार	बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना की अवधि को मौजूदा 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) से बढ़ाकर 6 वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26) करने के लिए अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 को जारी की गई थी।
16.	सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी विद्युत वितरण योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये	आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 30-06-2021 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत सरकार से 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय और 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता सहित संशोधित वितरण क्षेत्र योजना- एक सुधार-आधारित और परिणाम-आधारित योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के अंतर्गत कम हानि के कार्यों के लिए 2750.84 करोड़ रुपये की संचयी निधि (अब तक) जारी की गई है।

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2890

सोमवार, 07 अगस्त, 2023 / 16 श्रावण, 1945 (शक)

कृषि मजदूरों और अन्य मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि

2890. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:
श्री भागीरथ चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर बिहार में बढ़ती कीमतों को देखते हुए कृषि मजदूरों और अन्य मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले आठ वर्षों के दौरान देश में कृषि मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार और कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान के अजमेर और जयपुर निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त योजनाओं से लाभान्वित कृषि मजदूरों का ब्यौरा क्या है और उनके उत्थान के लिए सरकार की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण और कृषि मजदूरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले चार वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के तहत राजस्थान के सभी जिलों में कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(छ) व्यापक शिक्षा, जीवनयापन की स्थिति और दैनिक आवश्यकताओं आदि के संबंध में कृषि मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्रों में समुचित सरकार के रूप में कृषि सहित अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, पुनर्विचार और संशोधन करती हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया गया था। इसके अलावा, बढ़ती कीमतों का ध्यान रखने के लिए, केन्द्रीय सरकार

जारी--/2-

औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में प्रत्येक 6 महीने में संशोधन करती है जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है। वी.डी.ए. में पिछला संशोधन दिनांक 01.04.2023 से किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र में कृषि सहित अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों को देय वी.डी.ए. में वृद्धि के कारण मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों का प्रवर्तन जिसमें न्यूनतम मजदूरी के भुगतान भी शामिल है, समुचित सरकारों अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में इस उद्देश्य के लिए सांविधिक रूप से नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यत: केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में पदनामित मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है और राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। पदनामित निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने अथवा कम मजदूरी का भुगतान करने के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में, वे नियोक्ताओं को वेतन में की गई कटौती का भुगतान करने का निदेश देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में, धारा 22 के तहत निर्धारित शास्ति उपबंधों का प्रयोग किया जाता है।

(ग) से (छ): सरकार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 कार्यान्वित कर रही है ताकि कृषि कामगारों सहित असंगठित कामगारों को (i) जीवन और नि:शक्तता कवर, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याण योजनाएं बनाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और नि:शक्तता कवर प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है और यह 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है जिसमें 20/- रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी अशक्तता के मामले में 2.00 लाख रुपए और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी निःशक्तता के लिए 1.00 लाख रुपए का जोखिम कवरेज शामिल है।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) 27 स्पेशिएलिटीज में 1949 उपचार प्रक्रियाओं के अनुरूप अस्पताल में द्वितीयक और तृतीयक उपचार हेतु भर्ती किए जाने के लिए प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

जारी/3--

वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना आरम्भ की। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् न्यूनतम 3000/- रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान है। 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के असंगठित कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपए या इससे कम है और जो ईपीएफओ / ईएसआईसी / एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मैचिंग अंशदान का भुगतान किया जाता है।

सरकार ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा प्रदायगी के लिए अगस्त, 2021 में ई-श्रम पोर्टल आरम्भ किया है। दिनांक 02.08.2023 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर 28.99 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 1.30 करोड़ राजस्थान से पंजीकृत हैं।

* ******

अनुबंध

'कृषि मजदूरों और अन्य मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि' के संबंध में श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी और श्री भागीरथ चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2890 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 19.01.2017 से 01.04.2023 तक वीडीए में संशोधन के कारण न्यूनतम मजदूरी की बढ़ी हुई दरों को दर्शाता विवरण

अनुसूचित रोजगार	कामगार की श्रेणी	मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है					
		क्षेत्र क		क्षेत्र ख		क्षेत्र ग	
		19.01.2017	01.04.2023	19.01.2017	01.04.2023	19.01.2017	01.04.2023
कृषि	अकुशल	333	470	303	429	300	424
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	364	513	335	472	307	434
	कुशल/लिपिकीय	395	558	364	513	334	471
	अतिकुशल	438	617	407	574	364	513
झाड़ू लगाना एवं सफाई करना+	अकुशल	523	736	437	616	350	494
पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के (प्रशिक्षण द्वारा उन्नयन करके कुशल बनाना)	637	897	579	816	494	695
	शस्त्र के साथ (पर्यवेक्षण के लिए उन्नयन करके उच्च कुशलता प्राप्त बनाना)	693	973	637	897	579	816
लादना एवं उतारना #	अकुशल	523	736	437	616	350	494
निर्माण ^	अकुशल	523	736	437	616	350	494
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	579	816	494	695	410	577
	कुशल/लिपिकीय	637	897	579	816	494	695
	अति कुशल	693	973	637	897	579	816
		19.01.2017			01.04.2023		
पत्थर खानों में पत्थर तोड़ने और पत्थर पिसाई में कार्यरत मजदूर	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में :*						
	(क) नरम मिट्टी	351			498		
	(ख) पत्थर सहित नरम मिट्टी	531			748		
	(ग) चट्टान	703			990		
	2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को	283			400		

	हटाने एवं जमा करने में·				
	3. निम्न श्रेणी के आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए··				
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	2171		3041	
	(ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक	1857		2601	
	(ग) 3.0 इंच से ऊपर 5.0 इंच तक	1088		1527	
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	893		1255	
गैर-कोयला खानें$		**भूमि के ऊपर { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }**		**भूमि के नीचे { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }**	
		19.01.2017	**01.04.2023**	**19.01.2017**	**01.04.2023**
	अकुशल	350	494	437	616
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	437	616	523	736
	कुशल/लिपिकीय	523	736	610	858
	अति कुशल	610	858	683	959

*प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर अथवा 100 क्यूबिक फीट

** प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर अथवा 200 क्यूबिक फीट भार

+ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, **1993** के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर साफ और सफाई के कार्य में लगे कर्मचारी।

रेलवे के माल शेड, पार्सल कार्यालयों में लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में लगे कर्मचारी; **(ii)** अन्य गुड्स शेड, गोदाम, गोदाम और अन्य समान रोजगार; **(iii)** गोदी और बंदरगाह; और **(iv)** हवाई अड्डों में यात्री सामान और कार्गो (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) ले जाने वाले कर्मचारी।

^ भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश से संचार संबंधी केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबल बिछाने के कार्य, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन को बिछाने सहित सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन संचालन में लगे कर्मचारी।

$ जिप्सम खान, बैराइट्स खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, मिट्टी की खान, मैग्नेसाइट खान, व्हाइट क्ले खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन्स तथा टेल्क बनाने वाली खदान सहित) के रोजगार में लगे कर्मचारी), गेरू की खदान, अभ्रक की खदानों, आग की मिट्टी की खदानों, क्रोमाइट की खदानों, क्वार्टजाइट की खदानों, क्वार्ट्ज की खदानों, सिलिका की खदानों, ग्रेफाइट की खदानों, फ़ेलस्पार की खदानों, लेटराइट की खदानों, डोलोमाइट की खदानों, रेड ऑक्साइड की खदानों, वोल्फ्राम की खदानों, लौह अयस्क की खदानों, ग्रेनाइट खदानों, रॉक फॉस्फेट खदानों, हेमेटाइट खदानों, संगमरमर और कैल्साइट खदानों, यूरेनियम खदानों, अभ्रक खदानों, लिग्नाइट खदानों, बजरी खदानों, स्लेट और मैग्नेटाइट खदानों में काम करने वाले कर्मचारी।

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद परिसर	
बेंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
ग्रेटर मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली, धारवाड़	(नगर निगम))	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट.	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सालेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपूर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिको	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उल्लेख इस सूची में नहीं है।

एनबी : यूए शहरी समूह के लिए दिया गया है।

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2913
सोमवार, 7 अगस्त, 2023/ 16 श्रावण, 1945 (शक)

निजी संस्थानों में कार्यरत लोगों की सुरक्षा

2913. श्री संजय सेठ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण देश में निजी संस्थानों में कार्यरत लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या निजी संस्थानों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आउटसोर्सिंग अथवा निजी संस्थानों के माध्यम से कार्यरत कामगारों को सभी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) झारखंड में ऐसी कितनी कंपनियां कार्यशील हैं, जो इन मानदंडों का पालन कर रही हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सरकार ने निजी संस्थानों सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों यथा- मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 आदि को कार्यान्वित किया है।

इन कानूनों में आउटसोर्सिंग या निजी संस्थानों के माध्यम से लगे लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान भी है जिसमें न्यूनतम मजदूरी, समान पारिश्रमिक, बोनस, कैंटीन सुविधाएं, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, पीने का पानी, शौचालय, कपड़े धोने की सुविधाएं आदि शामिल हैं।

जारी...2/-

कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952, बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966, ठेका श्रम अधिनियम, 1970, भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 आदि में निजी संस्थानों सहित कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपबंध विद्यमान हैं। इनमें विश्राम कक्ष, शौचालय, समय-समय पर चिकित्सा जांच, असुविधाजनक समय में काम करने से छूट, जोखिमपूर्ण कार्य पर रोक आदि की सुविधाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों के समाधान के लिए उपबंध विद्यमान हैं।

झारखंड राज्य सहित देश भर में कार्यरत सभी कंपनियां श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु बाध्य हैं।

***

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2492

गुरूवार, 10 अगस्त, 2023 / 19 श्रावण, 1945 (शक)

पीएम-एसवाईएम और एनपीएस-ट्रेडर योजना

2492. डा. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) व्यापारियों और स्वरोजगाररत (एनपीएस-ट्रेडरो) व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) और राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रारंभ से अब तक इन योजनाओं में वर्ष-वार और राज्य-वार कितने पंजीकरण हुए हैं;

(ख) क्या किसी व्यक्ति ने अब तक उपरोक्त योजनाओं से लाभ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त योजनाओं में जागरूकता बढ़ाने और पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की कार्यक्षमता का उपयोग करने वाली कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान के संदर्भ में उपर्युक्त योजनाओं के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि का अंशदान किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) और एनपीएस ट्रेडर्स योजना के लिए पंजीकरण की संख्या, उनके आरंभ से वर्ष-वार और राज्यवार क्रमश: **अनुबंध-I** और **II** में दी गई हैं। ये पेंशन योजनाएं हैं और लाभ 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त किए जाते हैं। वर्तमान स्थिति में, किसी भी लाभार्थी ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं है।

(ग): सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां संचालित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की गई हैं। इसके पश्चात् ई-श्रम लाभार्थियों के बीच जागरूकता सृजन करने हेतु, ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के पात्र अभिदाताओं को एसएमएस भेजे गए हैं। पीएम-एसवाईएम के तहत अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान करने हेतु नियोक्ता को प्रोत्साहित करने के लिए 'डोनेट-ए-पेंशन' मॉड्यूल की भी शुरुआत की गई है। मंत्रालय सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है ताकि इन योजनाओं के तहत पंजीकरण के लिए पात्र लाभार्थी जुटाए जा सकें।

(घ) और (ङ): आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना की कार्यक्षमता का उपयोग करने वाली कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा; और ईपीएफ में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान के संदर्भ में उपर्युक्त योजनाओं के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार किए गए अंशदान की राशि **अनुबंध-III** में दी गई है।

*** *****

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध-I

"पीएम-एसवाईएम और एनपीएस-ट्रेडर योजना" के संबंध में डा. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पूछे गए दिनांक 10.08.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1033	822	277	175	32	1	2340
2	आंध्र प्रदेश	37444	107248	6201	1568	17810	134	170405
3	अरुणाचल प्रदेश	810	1589	77	203	194	58	2931
4	असम	9634	7563	3876	6343	10271	1214	38901
5	बिहार	104887	74782	16924	9472	10504	394	216963
6	चंडीगढ़	974	3738	361	90	11	3	5177
7	छत्तीसगढ	92631	111930	3857	5011	16018	806	230253
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	953	575	37	20	42	3	1630
9	दिल्ली	4791	2711	608	1575	570	77	10332
10	गोवा	212	728	35	27	1028	5	2035
11	गुजरात	335279	31407	2050	2432	16200	636	388004
12	हरियाणा	562199	314740	26049	10216	3938	72	917214
13	हिमाचल प्रदेश	14355	26033	1362	2643	3166	33	47592
14	जम्मू एवं कश्मीर	36735	27056	6643	3138	665	80	74317
15	झारखंड	97735	29266	2326	1642	4827	120	135916
16	कर्नाटक	39351	51925	8769	16267	13779	533	130624
17	केरल	7027	2398	1136	1893	3020	57	15531
18	लद्दाख	889	563	10	7	4	1	1474
19	लक्षद्वीप	21	0	0	0	0	0	21
20	मध्य प्रदेश	80101	39089	5139	7509	45690	911	178439
21	महाराष्ट्र	527226	61984	9541	6980	8496	1336	615563
22	मणिपुर	2350	1310	237	335	1466	20	5718
23	मेघालय	916	1162	811	410	2034	244	5577
24	मिजोरम	436	120	58	60	475	6	1155
25	नागालैंड	1432	2547	739	138	90	15	4961
26	ओडिशा	104847	50621	9107	7128	12262	532	184497
27	पुदुचेरी	851	322	82	72	1085	2970	5382
28	पंजाब	21915	9891	1718	1575	23383	44	58526
29	राजस्थान	61907	216675	3303	2582	21319	523	306309
30	सिक्किम	61	43	21	17	166	0	308
31	तमिलनाडु	40730	14016	2381	2317	6388	693	66525
32	तेलंगाना	19438	18455	2612	1715	6539	147	48906
33	त्रिपुरा	13680	12184	3113	1337	1358	932	32604
34	उत्तर प्रदेश	466310	349720	38701	13361	19740	1352	889184
35	उत्तराखंड	18629	14622	1291	493	3756	367	39158
36	पश्चिम बंगाल	35920	24055	12559	20178	13179	1355	107246
	कुल	**27,43,709**	**16,11,890**	**1,72,011**	**1,28,929**	**2,69,505**	**15,674**	**49,41,718**

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध-II

"पीएम-एसवाईएम और एनपीएस-ट्रेडर योजना" के संबंध में डा. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पूछे गए दिनांक 10.08.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एनपीएस ट्रेडर्स							
क्र.सं.	राज्य	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**कुल**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	139	49	1	1	6	196
2	आंध्र प्रदेश	5628	134	93	69	2	5926
3	अरुणाचल प्रदेश	71	4	7	1	14	97
4	असम	551	319	393	176	10	1449
5	बिहार	828	450	349	87	13	1727
6	चंडीगढ़	1814	17	8	1	0	1840
7	छत्तीसगढ	5549	746	121	57	13	6486
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	23	0	3	1	0	27
9	दिल्ली	110	60	159	33	5	367
10	गोवा	2	1	3	1	0	7
11	गुजरात	3115	150	159	133	15	3572
12	हरियाणा	1701	198	136	20	2	2057
13	हिमाचल प्रदेश	86	32	41	21	2	182
14	जम्मू और कश्मीर	78	210	150	30	3	471
15	झारखंड	377	102	93	35	4	611
16	कर्नाटक	833	257	288	132	17	1527
17	केरल	85	102	136	59	4	386
18	लद्दाख	1	0	0	1	0	2
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	459	209	207	325	14	1214
21	महाराष्ट्र	847	369	404	179	27	1826
22	मणिपुर	36	25	126	87	2	276
23	मेघालय	26	41	32	11	0	110
24	मिजोरम	2	3	3	11	1	20
25	नागालैंड	16	108	12	4	0	140
26	ओडिशा	441	219	202	80	7	949
27	पुदुचेरी	122	11	6	4	55	198
28	पंजाब	208	62	92	71	3	436
29	राजस्थान	703	233	189	133	13	1271
30	सिक्किम	3	0	6	5	0	14
31	तमिलनाडु	405	334	253	106	15	1113
32	तेलंगाना	507	139	132	61	6	845
33	त्रिपुरा	566	677	182	19	7	1451
34	उत्तर प्रदेश	10909	724	507	147	26	12313
35	उत्तराखंड	775	44	33	48	2	902
36	पश्चिम बंगाल	467	626	1254	278	41	2666
	कुल	**37483**	**6655**	**5780**	**2427**	**329**	52674

1113294/2023/PQ CELL

अनुबंध-III

"पीएम-एसवाईएम और एनपीएस-ट्रेडर योजना" के संबंध में डा. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पूछे गए दिनांक 10.08.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के भाग (घ) और (ड़) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 18.07.2023 की स्थिति के अनुसार लाभार्भी प्रतिष्ठानों, लाभार्भी कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या और लाभ की राशि (रुपये में)

वित्तीय वर्ष	2020-21			2021-22			2022-23			01.04.2023 से 18.07.2023		
राज्य	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23	177	7,05,404	12	289	58,55,984	1	12	47,50,921	-	1	3,46,223
आंध्र प्रदेश	1,475	34,740	958,84,394	2,185	1,13,678	12188,34,192	377	18,222	14991,34,008	4	164	2410,59,286
अरुणाचल प्रदेश	2	8	30,282	11	122	8,72,638	4	384	94,75,090	-	-	27,20,450
असम	157	1,929	51,99,806	402	15,182	1225,07,046	104	2,741	1708,60,879	4	40	251,05,737
बिहार	362	4,713	151,95,479	719	19,117	2591,37,749	128	4,433	3659,38,916	3	45	566,27,333
चंडीगढ़	605	14,669	389,20,290	875	44,728	4423,08,868	100	5,278	4531,09,740	2	114	615,82,704
छत्तीसगढ़	1,064	19,819	559,47,364	1,634	56,191	6267,35,263	240	9,008	8097,03,684	10	62	1244,90,859
दिल्ली	1,268	48,387	1261,99,744	1,625	1,61,216	13878,14,165	246	17,519	14043,96,048	5	393	1720,90,173
गोवा	260	5,418	159,46,071	246	13,806	1345,69,878	34	1,681	1404,03,013	2	35	185,61,822
गुजरात	6,532	1,58,119	4138,89,068	7,970	4,40,441	41245,51,428	1,036	44,455	45245,67,656	21	558	6903,90,433
हरियाणा	3,033	83,929	2453,01,617	4,018	2,80,116	25760,86,560	574	35,101	27024,38,159	11	1,022	3479,68,375
हिमाचल प्रदेश	890	19,975	561,80,627	1,096	57,289	5628,77,284	172	5,979	6139,73,030	3	115	839,72,107
जम्मू और कश्मीर	244	3,441	92,76,310	577	14,097	1761,41,966	68	1,821	2366,16,545	1	19	353,51,072
झारखंड	766	14,149	432,89,626	1,263	41,821	5002,01,030	213	6,706	5943,95,998	4	47	873,03,109
कर्नाटक	3,816	1,03,320	3112,33,481	5,970	3,34,240	34770,10,560	1,201	47,919	39649,91,545	7	799	4925,48,068
केरल	987	20,131	592,83,648	1,420	64,808	7350,59,852	319	11,212	9303,73,928	4	138	1354,94,371
लद्दाख	1	2	6,552	11	168	14,04,113	5	20	18,12,553	-	-	3,74,454
मध्य प्रदेश	2,519	47,381	1464,25,243	3,198	1,38,217	15719,31,200	516	19,718	16947,85,375	15	393	2378,66,531
महाराष्ट्र	7,977	2,06,408	5364,19,295	12,642	6,90,241	62569,71,165	1,790	80,294	66957,38,330	29	1,365	9189,00,313
मणिपुर	15	218	5,22,750	27	703	81,32,815	15	769	159,09,469	-	2	17,32,702
मेघालय	14	394	25,20,552	22	737	204,82,708	2	79	216,34,993	1	14	31,02,010
मिजोरम	5	98	3,62,412	10	271	64,42,842	-	8	72,89,184	-	-	11,29,486
नागालैंड	2	11	14,974	12	209	13,26,738	3	14	32,56,024	-	-	4,81,368
ओडिशा	1,383	20,745	566,36,945	2,455	59,212	7269,61,079	350	9,246	9544,33,241	6	93	1527,25,886
पंजाब	2,436	35,699	1088,73,292	3,628	1,20,698	14156,29,218	465	14,313	16268,14,231	12	177	2379,75,296
राजस्थान	4,133	68,318	1798,81,697	6,398	2,31,029	22278,20,778	924	26,502	26444,68,292	21	499	3849,32,044
सिक्किम	43	1,160	37,36,465	65	2,362	349,23,389	4	242	297,87,414	-	-	23,73,060
तमिलनाडु	6,038	1,70,388	3892,24,321	9,109	5,68,104	46997,83,659	1,558	77,627	54117,90,473	34	1,196	7299,03,646
तेलंगाना	2,073	54,989	1334,98,483	2,874	2,04,801	16477,71,711	429	22,391	17836,75,247	11	683	2515,71,724
त्रिपुरा	78	1,951	56,15,402	71	3,376	449,39,953	1	113	417,84,003	-	-	43,19,829
उत्तर प्रदेश	4,551	89,663	2812,27,623	6,912	3,00,544	33565,37,195	923	42,256	39765,00,920	18	768	5771,44,104
उत्तराखंड	1,068	23,216	693,14,418	1,165	61,581	6483,40,009	185	8,564	6790,87,869	5	113	910,76,615
पश्चिम बंगाल	2,405	43,555	1039,92,581	4,586	1,52,407	14436,15,081	697	31,093	19166,01,415	13	227	3282,26,337
कुल	**56,225**	**12,97,120**	**35107,56,216**	**83,208**	**41,91,801**	**404635,78,116**	**12,684**	**5,45,720**	**459304,98,193**	**246**	**9,082**	**64994,47,527**

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2506

गुरूवार, 10 अगस्त, 2023 / 19 श्रावण, 1945 (शक)

अनौपचारिक क्षेत्र के लिए ईपीएफ योजना

2506. श्री रायगा कृष्णैया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता में यह व्यवस्था की गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना उन सभी प्रतिष्ठानों पर पहले की तरह ही लागू रहेगी जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या इसका आशय यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा नई संहिता में भी उपलब्ध नहीं होगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका निवारण करने और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संहिता) में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाएं तैयार करने के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभों की परिकल्पना की गई है और इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से लागू किया जा सकता है जो अभी तक संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करते है। संहिता की पहली अनुसूची के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (4) के अनुसार, ईपीएफ हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। हालांकि, संहिता की धारा 152 के तहत केन्द्र सरकार को पहली अनुसूची में जोड़ने या हटाने के माध्यम से संशोधन करने का अधिकार है यदि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में इस उपबंध का प्रावधान नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 1 की उपधारा (5) में प्रावधान है कि यदि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से यह प्रतीत होता है कि नियोक्ता और उस प्रतिष्ठान के अधिकांश कर्मचारी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि संहिता के अध्याय III (ईपीएफ) के उपबंध उस प्रतिष्ठान पर लागू किए जाने चाहिए, वह, अधिसूचना द्वारा, उक्त अध्याय के उपबंधों को उस प्रतिष्ठान पर ऐसे समझौते की तारीख से या समझौते में विनिर्दिष्ट कोई भी अगली तारीख से लागू कर सकता है।

1113294/2023/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2507

गुरूवार 10 अगस्त, 2023/19 श्रावण, 1945 (शक)

ईपीएफओ निधि का निवेश

2507. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऋण लिखतों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में कई लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शेयर बाजार और संबंधित उत्पादों में कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में निवेश की गई कुल कर्मचारी भविष्य निधि राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुसार निधियों का निवेश करता है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित विभिन्न निधियों का कुल कोष 18.30 लाख करोड़ रुपये था, जिसका निवेश निम्नानुसार किया गया है:

ऋण निवेश (भारत के सार्वजनिक खाता सहित)	ईटीएफ निवेश
91.30%	8.70%

ईपीएफओ किसी भी ब्लू चिप कंपनी के शेयरों सहित व्यक्तिगत शेयरों में सीधे निवेश नहीं करता है। ईपीएफओ बीएसई-सेंसेक्स और निफ्टी-50 सूचकांकों का अनुकरण करते हुए ईटीएफ के माध्यम से इक्विटी बाजारों में निवेश करता है। ईपीएफओ ने समय-समय पर ईटीएफ में भी निवेश किया है, जिसका निर्माण विशेष रूप से निकाय कॉर्पोरेट्स में भारत सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश के लिए किया गया है। गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ईटीएफ में ईपीएफओ द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	निवेश की गई राशि (करोड़ रुपये में)
2018-19	27,974
2019-20	31,501
2020-21	32,071
2021-22	43,568
2022-23	53,081*
2023-24 (जुलाई, 2023 तक)	13017*

* अनंतिम

*****

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या2644

जिसका उत्तर 11अगस्त, 2023 को दिया जाना है ।

20श्रावण,1945(शक)

संवेदनशील और निजी डेटा में सेंधमारी

2644.श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार साइबर सुरक्षा घटनाओं के मामलों जिसमें विशेषकर कोविन, एम्स, इपीएफओ और यूआईडीएआई डेटा में सेंधमारी, डेटा संबंधी हानि आदि हुई है और सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग, मंत्रालय अथवा संगठन प्रभावित हुए हैं, की सूची रखती है;

(ख)यदि हां, तो सुरक्षा संबंधी उन घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिनसे डेटा की चोरी हुई है अथवा डेटा संबंधी हानि हुई है और ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ग)यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग): जी, हाँ।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह हो। इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन आने से साइबर घटनाओं की घटनाएं भी बढ़ी हैं। सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों से पूरी तरह परिचित और अवगत है। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) डेटा उल्लंघनों और डेटा लीक के लिए जिम्मेदार साइबर सुरक्षा घटनाओं की एक सूची रखती है।

सर्ट-इन को दी गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 (जून तक) के दौरान क्रमशः 0, 0, 14, 6, 27 और 15 डेटा लीक की घटनाएं और डेटा उल्लंघन की कुल 5, 11, 36, 39, 51 और 49 घटनाएं देखी गई हैं।

डेटा उल्लंघन/चोरी की घटनाएं आम तौर पर कई कारकों के संयोजन के कारण होती हैं, जिनमें संवेदनशील सेवाओं का दुरूपयोग, गलत कॉन्फ़िगरेशन, गलत क्रेडेंशियल्स, मैलवेयर संक्रमण और तृतीय-पक्ष उल्लंघन शामिल हैं।

सरकार ने साइबर सुरक्षा अवस्था को सुधारने और डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. डेटा उल्लंघनों और डेटा लीक को देखने पर, सर्ट-इन प्रभावित संगठनों को उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों के साथ सूचित करता है। सर्ट-इन प्रभावित संगठनों, सेवा प्रदाताओं, संबंधित क्षेत्र नियामकों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घटना प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करता है।

ii. सर्ट-इन निरंतर आधार पर कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षाके लिए नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों और जवाबी उपायों के संबंध में अलर्ट और सलाह जारी करता है।

iii. दिसंबर 2022 में नवीनतम साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में स्वास्थ्य क्षेत्र की संस्थाओं को संवेदनशील बनाने के लिए सर्ट-इन द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र की संस्थाओं का लचीलापन बढ़ाने हेतु सुरक्षा पद्धतियों पर एक विशेष सलाह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी गई है। मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह देश में सभी प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या संस्थाओं/सेवा प्रदाताओं के बीच इन परामर्शी निदेशों का प्रसार करे।

iv. सर्ट-इन एक स्वचालित साइबर थ्रेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म संचालित करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ उनके द्वारा सक्रिय खतरे को कम करने हेतु अलर्ट एकत्र करने, विश्लेषण करने और साझा करने के लिए है।

v. सर्ट-इन ने मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की है।

vi. सर्ट –इन ने जून 2023 में सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा प्रथाओं पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, पहचान और पहुंच प्रबंधन, एप्लिकेशन सुरक्षा, तृतीय-पक्ष आउटसोर्सिंग, सख्त प्रक्रियाएं, सुरक्षा निगरानी, घटना प्रबंधन और सुरक्षा ऑडिटिंग जैसे डोमेन शामिल हैं।

vii. सरकार ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उनके संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के लिए साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की है।

*****